रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33001/95 REGISTERED NO. DL-33001/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 1, 1995/चैत्र 11, 1917
No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 1, 1995/CHAITRA 11, 1917

इस भाग को भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)
(न्यायिक अनुभाग)
नई दिल्ली, 7 मार्च, 1995

सा.का.नि. 150.—केन्द्रीय सरकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का संख्यांक 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अधिवक्ताओं को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन की ओर से पुणे, थाणे, कोल्हापुर, सतारा और सांगली के विशेष न्यायाधीशों के समक्ष आपराधिक मामलों के संचालन के लिए तुरन्त प्रभाव से विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है। निबंधन और शर्तें पृथक्तः सूचित की जाएंगी :—

1. श्री वी आर. वजे
2. श्री एस.बी. देशपाण्डे
3. श्री के.डी. चिटनिस

2. यह नियुक्ति, दोनों में से किसी भी ओर से एक मास की लिखित सूचना देकर समाप्त की जा सकेगी ।

[फा.सं. 23 (2)/90-न्या.]
पी.सी. कण्णन, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS
(Department of Legal Affairs)
(Judicial Section)

New Delhi, the 7th March, 1995

G.S.R. 150.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the Central Government hereby appoints with immediate effect the following Advocates as Special Public Prosecutors for conducting of criminal cases before the Special Judges of Pun., Thane, Kolhapur, Satara and Sangli on behalf of the Delhi Special Police Establishment. The terms and conditions are to be intimated separately :—

1. Shri V. R. Vaze
2. Shri S. B. Deshpande
3. Shri K. D. Chitnis

2. The appointment would be terminable on one month's notice in writing on either side.

[F. No. 23(2)/90-Judl.]
P. C. KANNAN, Jt. Secy. & Legal Adviser

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1995

सा.का.नि. 151 :– राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिल्ली तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा नियम, 1971 की उन बातों के सिवाय, अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अतिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली, अण्डमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप सिविल सेवा नियम, 1995 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) किसी ग्रेड के संबंध में, "नियुक्ति प्राधिकारी" से केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अधीन उस ग्रेड में नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(ख) "प्रशासक" से, यथास्थिति, दिल्ली, अण्डमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक अभिप्रेत है ;

(ग) नियत दिन से अभिप्रेत है, वह तारीख, जिसको ये नियम प्रवृत्त होंगे ;

(घ) काडर से उसके नियम 3 में यथाविनिर्दिष्ट ग्रेडों के पद-समूह अभिप्रेत है ;

(ङ) काडर नियंत्रक प्राधिकारी से भारत सरकार का गृह मंत्रालय अभिप्रेत है ;

(च) आयोग से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है ;

(छ) विभागीय प्रोन्नति समिति से किसी ग्रेड में प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के लिए गठित समिति अभिप्रेत है ;

(ज) कर्त्तव्य पद से अनुसूची 1 में सम्मिलित कोई पद अभिप्रेत है ;

(झ) सरकार से भारत सरकार अभिप्रेत है;

(ञ) ग्रेड से नियम 3 में विनिर्दिष्ट ग्रेडों में से कोई ग्रेड अभिप्रेत है ;

(ट) अनुसूची से इन नियमों में संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ठ) सेवा से नियम 3 के अधीन गठित दिल्ली, अण्डमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सिविल सेवा अभिप्रेत है ;

11. "अनुसूचित जातियां" और "अनुसूचित जनजातियां" के वही अर्थ होंगे जो संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमशः खण्ड (24) और खण्ड (25) में दिए गए हैं ।

3. सेवा का गठन और उसका वर्गीकरण :

(i) सेवा में अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट 3 ग्रेड होंगे ।

(ii) अवर प्रशासनिक ग्रेड और ग्रेड 1 (चयन ग्रेड) में केन्द्रीय सिविल समूह "क" पद होंगे और ग्रेड 2 के पद केन्द्रीय सिविल समूह "ख" पद होंगे ।

4. ग्रेड पद संख्या और उनका पुनर्विलोकन :

(1) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को विभिन्न ग्रेडों में सम्मिलित कर्त्तव्य पद, उनकी संख्या और उनके वेतनमान वे होंगे जो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट है ।

सेवा में के पदों की मंजूरी संख्या का बीस प्रतिशत ग्रेड 1 (चयन ग्रेड) में होगा।)

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, सरकार,–

(क) विभिन्न ग्रेडों में समय-समय पर कर्त्तव्य पदों में अस्थायी परिवर्धन या परिवर्तन कर सकेगी ;

(ख) आयोग से परामर्श करके सेवा में ऐसे पद सम्मिलित कर सकेगा, जिन्हें प्राम्थिति ग्रेड, वेतनमान और वृत्तिक विषय में सेवा में सम्मिलित पदों के समतुल्य समझा जा सकता है या सेवा में पहले से ही सम्मिलित किसी कर्तव्य पद को सेवा से निकाल सकेगी, और

(ग) आयोग की सिफारिश पर, उस पद पर, जिन्हें सेवा के उपर्युक्त ग्रेड के कर्त्तव्य पद के रूप में सेवा में सम्मिलित कर लिया गया है, नियमित पदधारी नियुक्त कर सकेगी और आयोग से परामर्श करके, सदृश ग्रेड में की गई नियमित सेवा को हिसाब में लेते हुए उसकी ज्येष्ठता नियत कर सकेगी, उस पद के, जिसे कर्त्तव्य पद के रूप में सेवा में सम्मिलित कर लिया गया है, नियमित पदधारी की उपयुक्तता ,सेवा में सम्मिलित करने के लिए आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है।

(3) उपनियम 2(ख) और उपनियम 2(ग) में किसी बात के होते हुए, यदि उस पद के, जिसे सेवा में के काडर में सम्मिलित किया गया है, किसी नियमित पदधारी को उपनियम 2(ग) के अधीन सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो वह पद धारण करता रहेगा और इस प्रयोजन के पद को ऐसे पदधारी द्वारा धारित किए जाने तक सेवा से निकाला गया समझा जाएगा। सेवा में सम्मिलित किए जाने के लिए ऐसे व्यक्ति की उपयुक्तता का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन किया जाएगा ।

5. सेवा का सदस्य :

(1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे।

(क) नियम 6 के अधीन कर्तव्य पदों पर नियुक्त व्यक्ति; और

(ख) नियम 7 के अधीन कर्तव्य पदों पर नियुक्त व्यक्ति।

(2) उपनियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति पर, अनुसूची 1 में इसको लागू उपयुक्त ग्रेड में सेवा का सदस्य समझा जाएगा।

(3) उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति की तारीख से अनुसूची 1 में उसको लागू उपयुक्त ग्रेड में सेवा का सदस्य होगा।

6. सेवा का आरंभिक गठन :

(1) दिल्ली, अण्डमान और निकोबार द्वीप सिविल सेवा के अवर प्रशासन ग्रेड, ग्रेड 1 और 2 में नियमित आधार पर कर्तव्य पद धारण कर रहे सभी विद्यमान अधिकारी अपने-अपने ग्रेडों में सेवा के सदस्य होंगे।

(2) लक्षद्वीप प्रशासन के सभी विद्यमान अधिकारी, जो ऐसे पद धारण कर रहे हैं, जिन्हें सेवा के काडर में सम्मिलित कर लिया गया है, इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व यथा विद्यमान अपने-अपने पदों पर और ग्रेडों में तब तक रहेंगे जब तक वे आयोग द्वारा अपनी उपयुक्तता के निर्धारण के पश्चात् सेवा के सदस्य नहीं हो जाते हैं। यदि वे उपयुक्त निर्धारित किए जाते हैं, तब वे ऐसे ग्रेडों में अपनी नियमित नियुक्ति की तारीख (तारीखों) से उपयुक्त ग्रेड में नियुक्त किए गए समझे जाएंगे। यदि कोई अधिकारी सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उसके द्वारा नियमित रूप से धारित काडर में सम्मिलित किए गए पद को तब तक काडर बाह्य पद माना जाएगा जब तक वह सेवा में सम्मिलित नहीं कर दिया जाता है या पद खाली नहीं कर देता है और उसके मामले का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन किया जाएगा।

(3) इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व, उपनियम (1) और उपनियम (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों की नियमित निरंतर सेवा को परिवीक्षा प्रोन्नति पुष्टि के लिए अर्हक सेवा और सेवा में पेंशन के प्रयोजन के लिए गणना की जाएगी।

(4) उस विस्तार तक, जिस तक नियंत्रक प्राधिकारी इस नियम के उपबंधों के अनुसार विभिन्न ग्रेडों का प्राधिकृत नियमित पद संख्या भरने में समर्थ नहीं है, नियम 7 और नियम 8 के उपबंधों के अनुसार भरा जाएगा।

7. सेवा का भावी अनुरक्षण :

(1) नियम 6 के अधीन आरंभिक गठन के पश्चात् अनुसूची 1 में निर्दिष्ट ग्रेडों में से किसी ग्रेड में रिक्तियां, इस नियम में उपबंधित इसमें इसके पश्चात् रीति से भरी जाएंगी।

(2) (क) सेवा के ग्रेड 2 में रिक्तियों का पचास प्रतिशत आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा; और

(ख) सेवा के ग्रेड 2 में रिक्तियों का पचास प्रतिशत, अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट समुचित समिति की सिफारिश के आधार पर ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले अनुसूची 2 में उल्लिखित पद धारण कर रहे अधिकारियों में से चयन द्वारा भरा जाएगा।

टिप्पण :—प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची तत्संबंधी ग्रेड में या पद पर अर्हक सेवा के पूरा होने की तारीख के प्रति निर्देश से तैयार की जाएगी। यदि भिन्न-भिन्न स्त्रोत से आने वाले एक या अधिक अधिकारियों के लिए निर्णायक तारीख एक और वही है, तो आयु में ज्येष्ठ अधिकारी को पात्रता सूची में ऊपर रखा जाएगा।

(3) अवर प्रशासन ग्रेड और चयन ग्रेड के ग्रेडों में सभी रिक्तियां, अनुसूची 3 में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक सेवा वाले ठीक तत्संबंधी निम्न ग्रेड के अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी।

(4) सेवा के ग्रेड 1 के सिवाय, जिस मामले में नियुक्ति, आयोग के परामर्श से, अयोग्य पाए जाने की दशा में नामंजूर किए जाने के अधीन रहते हुए ज्येष्ठता के क्रम में की जाएगी, सभी ग्रेडों में सम्मिलित किया जाना या प्रोन्नति गुणागुण के आधार पर चयन द्वारा की जाएगी। आयोग के विचार के लिए सुसंगत अभिलेख के साथ सूची भेजने से पूर्व, सेवा के ग्रेड 1 में नियुक्ति के लिए पात्रता की छानबीन संबद्ध विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा की जाएगी यदि आयोग आवश्यक समझे, तो वह सूची में उपयुक्त परिवर्तन कर सकेगा।

(5) उपनियम (4) के अधीन प्रत्येक मामले में चयन अनुसूची 4 के अनुसार गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों पर किया जाएगा।

(6) यदि सेवा में से किसी ग्रेड में नियुक्त किसी अधिकारी पर उच्चतर पद पर प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए विचार किया जाता है, तो उस ग्रेड में उससे ज्येष्ठ सभी व्यक्तियों पर भी इस बात के होते हुए भी विचार किया जाएगा कि वे विहित पात्रता सेवा पूरी नहीं करते हैं, यदि कभी एक वर्ष से अधिक नहीं है और यह कि वे अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर चुके हैं।

8. कर्तव्य पदों का प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाना : नियम 7 में किसी बात के होते हुए भी, जहां सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जायेंगे और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, किसी ग्रेड में किसी कर्तव्य पद को, प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, ऐसी अवधि के लिये जो तीन वर्ष से अधिक न हो, जिसे विशेष परिस्थितियों में पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा, भर सकेगी। इन नियमों के अधीन सेवा के किसी ग्रेड में नियुक्ति के लिये अपेक्षित अर्हता, अनुभव और पात्रता सेवा के बारे में विनिश्चय, प्रत्येक अवसर पर, आयोग से परामर्श करके, सरकार द्वारा किया जायेगा ।

9. ज्येष्ठता :

(1) नियम 6 के अधीन सेवा के आरंभिक गठन के समय, सेवा के ग्रेड में नियुक्त सदस्यों की सापेक्ष ज्येष्ठता वह होगी जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को अभिप्राप्त है :

परन्तु यदि किसी ऐसे सदस्य की ज्येष्ठता उक्त तारीख को विनिर्दिष्टतया अवधारित नहीं की गई थी, तो ज्येष्ठता वह होगी, जो ज्येष्ठता नियत करने को शासित करने वाले ऐसे नियमों के, जो इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व सेवा के सदस्यों को लागू थे, आधार पर अवधारित की गई हो।

(2) आरंभिक गठन के पश्चात् सेवा में भर्ती किये गये व्यक्तियों की ज्येष्ठता सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये सामान्य अनुदेशों के अनुसार अवधारित की जायेगी।

10. परिवीक्षा :

(1) प्रत्येक अधिकारी सेवा के ग्रेड 2 में, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा नियुक्त होने पर दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर होगा :

परन्तु नियंत्रक प्राधिकारी सरकार द्वारा इस निमित्त समय समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकेगा।

(2) सीधी भर्ती किये गये अधिकारी की परिवीक्षा या उसके बढ़ाये जाने की अवधि के पूरा होने पर यदि, उसे स्थायी नियुक्ति के लिये उपयुक्त समझा गया, सरकार के विद्यमान आदेशों के निबंधनों के अनुसार पुष्टि कर दी जायेगी ।

(3) यदि, यथास्थिति, परिवीक्षा की अवधि या उसके बढ़ाये जाने की किसी अवधि के दौरान, सरकार की यह राय है कि कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं है, तो सरकार, अधिकारी को, यथास्थिति, सेवामुक्त कर सकेगा या, सेवा में उसकी नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर उसे प्रतिवर्तित कर सकेगा।

(4) किसी अधिकारी से, परिवीक्षा की अवधि या उसके बढ़ाये जाने की किसी अवधि के दौरान, सरकार द्वारा, ऐसी शर्तों पर जो सरकार द्वारा विहित की जायें, प्रशिक्षण के ऐसे पाठ्यक्रम लेने या ऐसी परीक्षाएं या परीक्षण (जिनके अन्तर्गत हिन्दी में परीक्षा भी है) उत्तीर्ण करने के लिये, जो सरकार ठीक समझे, अपेक्षा की जा सकेगी।

(5) परिवीक्षा से संबंधित अन्य बातों की बाबत, सेवा के सदस्य, सरकार द्वारा, इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों या अनुदेशों द्वारा शासित होंगे।

11. सेवा में नियुक्ति :

सेवा में सभी नियुक्तियां सेवा के अवर प्रशासन ग्रेड, ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में न कि सेवा में सम्मिलित किसी विनिर्दिष्ट पद पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

12. तैनाती :

प्रशासन की आबंटित सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब तक कि वह काडर बाह्य पद पर नियुक्त न हो, या लोक सेवा की अत्यावश्यकताओं के कारण कर्तव्य पद धारित करने के लिये अन्यथा उपलब्ध न हो, संबद्ध प्रशासक द्वारा प्रशासन के अधीन किसी कर्तव्य पद पर तैनात किया जायेगा।

13. सेवा के सदस्यों का आबंटन :

केन्द्रीय सरकार, सेवा के किसी सदस्य को तत्संबंधी प्रशासन के अधीन तैनात किये जाने के लिये, दिल्ली, अण्डमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को आबंटित करेगी।

14. निरर्हता :

वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, सेवा नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और और ऐसा करने के लिये अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

15. सेवा की अन्य शर्तें :

ऐसी बातों की बाबत, जिनके लिये इन नियमों में कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्यों की सेवा-शर्तें वही होंगी जो केन्द्रीय सरकार की

समतुल्य पंक्ति के अधिकारियों को समय-समय पर लागू हैं।

16. शिथिल करने की शक्ति :

जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिये जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

17. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना अपेक्षित है।

18. निर्वचन : यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, तो उसका विनिश्चय सरकार द्वारा आयोग से परामर्श करके किया जाएगा।

अनुसूची—1

[नियम 4(1) देखिए]

दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप सिविल सेवा के विभिन्न ग्रेडों में कर्तव्य पदों के नाम, संख्या और वेतनमान।

अ(क) सेवा के ग्रेड और वेतनमान :

1. अवर प्रशासन ग्रेड (समूह क)	3700-5000 रु.
2. चयन ग्रेड (ग्रेड 1) (समूह क)	3000-4500 रु.
3. ग्रेड 2 (समूह ख)	2000-3500 रु.

(ख) मंजूर पद संख्या :

1. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन के अधीन विनिर्दिष्ट पद	256
2. अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशासन के अधीन विनिर्दिष्ट पद	17
3. लक्षद्वीप प्रशासन के अधीन विनिर्दिष्ट पद	13
4. प्रतिनियुक्ति, छुट्टी और प्रशिक्षण रिजर्व	92
योग	378

(ग) रिजर्व :

1. 286 का बारह प्रतिशत—प्रतिनियुक्ति रिजर्व	34
2. 286 का दस प्रतिशत—छुट्टी रिजर्व	29
3. 286 का दस प्रतिशत—प्रशिक्षण रिजर्व	29
योग	92

आ. अवर प्रशासन ग्रेड में पद :

(क) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन के अधीन पद

1. संयुक्त समाज कल्याण निदेशक	2
2. संयुक्त शिक्षा निदेशक (प्रशासन)	1
3. संयुक्त शिक्षा निदेशक (वित्त)	1
4. संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियां	2
5. संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा	1
6. संयुक्त उद्योग निदेशक	2
7. संयुक्त निदेशक, (प्रशासन सतर्कता), खाद्य अपमिश्रण निवारण	1
8. संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं	1
9. संयुक्त निदेशक, (स.रा.सि.से.)	1
10. संयुक्त परिवहन निदेशक	1
11. संयुक्त प्रशासनिक सुधार निदेशक	1
12. संयुक्त कृषि और विपणन निदेशक	1
13. उत्पाद-शुल्क उपायुक्त	1
14. प्रमुख, पुनर्वास सेवाएं	1
15. सचिव, मुख्य कार्यकारी पार्षद/कार्यकारी पार्षद	4
16. उपायुक्त, खाद्य और पूर्ति	4
17. विक्रय कर उपायुक्त	2
18. उप विकास आयुक्त	1
19. उप सचिव (महानगर परिषद्)	1
20. सहायक विक्रय कर आयुक्त	9
21. अपर जिला मजिस्ट्रेट	2
22. उप चिकित्सा अधीक्षक/निदेशक (प्रशासन), लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल	1
23. अपर परिवहन निदेशक	1
24. संयुक्त उद्योग निदेशक	1
25. उपायुक्त, विक्रय कर प्रवर्तन	1
26. उप चिकित्सा अधीक्षक तथा निदेशक (प्रशासन), गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल	1
27. अपर जिला मजिस्ट्रेट—सह—निदेशक (पंचायत)	1
28. सक्षम प्राधिकारी (नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम)	1
	47

(ख) अंडमान और निकोबार प्रशासन के अधीन पद

1. अपर जिला मजिस्ट्रेट, पोर्ट ब्लेयर	1
2. रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियां	1
3. निदेशक, ग्रामीण विकास	1
4. जनजाति कल्याण निदेशक	1

5. निदेशक (परिवहन)	1
6. उप सचिव, (प्रदेश परिषद)	1
	6
(क) और (ख) का योग	53

ङ. ग्रेड 2 और ग्रेड 1 (चयन ग्रेड) में पद :

(क) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन के अधीन पद

1. उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियां	2
2. सहायक निदेशक, सिविल पूर्ति	1
3. उप सचिव	7
4. अवर सचिव	5
5. सहायक विकास आयुक्त	2
6. राजस्व सहायक	1
7. भूमि अर्जन कलक्टर	5
8. जिला संग्रहण अधिकारी	1
9. उप नियोजन अधिकारी/उप प्रादेशिक नियोजन अधिकारी/नियोजन सम्पर्क अधिकारी	18
10. कार्यपालक मजिस्ट्रेट	21
11. विक्रय कर अधिकारी	81
12. मनोरंजन कर अधिकारी	1
13. जिला उत्पाद-शुल्क अधिकारी	3
14. सहायक आवास आयुक्त	7
15. उप उद्योग निदेशक	2
18. प्रशासन अधिकारी, नेशनल कैडेट कोर/प्रादेशिक कैडेट कोर	1
17. प्रशासन अधिकारी, मौलाना आजाद मेडिकल कालेज	1
18. सहायक नियोजन निदेशक	1
19. बजारत अधिकारी	1
20. भूमि सुधार-सह-भूमि प्रबंध अधिकारी	1
21. सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियां	11
22. सहायक उत्पाद-शुल्क आयुक्त	1
23. अपर मनोरंजन कर अधिकारी	1
24. स्टाम्प कलक्टर/जिला स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	1
25. प्रशासन अधिकारी, औषध नियंत्रण संगठन	1
26. प्रशासन अधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल	1
27. प्रशासन अधिकारी, नेहरू होम्योपैथिक कालेज और अस्पताल	1
28. प्रशासन अधिकारी, परिवार कल्याण	1
29. सतर्कता अधिकारी, प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा निदेशालय	1
30. उत्पाद-शुल्क अधिकारी	2
31. प्रशासन अधिकारी (शिक्षा निदेशालय)	10
32. उप परिवहन निदेशक (प्रवर्तन)	1
33. सहायक प्रशिक्षण निदेशक (सं.रा.सि.से.)	2
34. प्रशासन अधिकारी (खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग)	1
35. सहायक आयुक्त, खाद्य और पूर्ति	3
36. संपदा अधिकारी, मौलाना आजाद मेडिकल कालेज	1
37. बन्दोबस्त अधिकारी	1
38. उप समाज कल्याण निदेशक	2
39. प्रशासन अधिकारी, कला महाविद्यालय	1
40. भारसाधक अधिकारी (निदेशिका और मुकदमा)	1
41. उप रजिस्ट्रार, तकनीकी शिक्षा बोर्ड	1
42. प्रशासन अधिकारी तकनीकी शिक्षा निदेशालय	1
43. प्रशासन अधिकारी (मुख्य इंजीनियर का कार्यालय) (सिंचाई और बाढ़)	1
योग	209

(ख) अंडमान और निकोबार प्रशासन के अधीन पद :

1. सहायक आयुक्त, उत्तर और मध्य अंडमान मायाबंदर	1
2. सहायक आयुक्त, निकोबार	1
3. सहायक आयुक्त, बन्दोबस्त	1
4. उद्योग अधिकारी	1
5. सहायक आयुक्त, दक्षिणी अंडमान	1
6. पूर्ति अधिकारी	1
7. अंडमान श्रम बल नियंत्रक	1
8. सहायक सचिव, योजना	1
9. सहायक आयुक्त, जनजाति कल्याण	1
10. प्रचार अधिकारी	1
11. नियोजन अधिकारी	1
योग	11

(ग) लक्षद्वीप प्रशासन अधीन पद :

1. सचिव (प्रशासन)/बन्दोबस्त अधिकारी/उप कलक्टर	3
2. जिला नियोजन अधिकारी	1
3. रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियां	1
4. सूचना अधिकारी	1
5. निदेशक (उद्योग)	1
6. सतर्कता अधिकारी	1
7. ज्येष्ठ प्रशासन अधिकारी (शिक्षा) के परिवर्तित पदनाम सहित शिक्षा अधिकारी	1
8. समाज कल्याण निदेशक	1

9. सचिव, प्रदेश परिषद्	1
10. सहायक निदेशक (योजना)	1
11. समाज कल्याण अधिकारी	1
योग	13
ङ. के (क), (ख) और (ग) का योग	233
आ और ङ का कुल योग (53 + 233) =	286
प्रतिनियुक्ति, छुट्टी और प्रशिक्षण रिजर्व	92
योग	378

अनुसूची—2

(नियम 7 देखिए)

ग्रेड 2 में सम्मिलित किए जाने के लिए पात्र पद/ग्रेड/सेवा

(क) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन के अधीन पद

(i) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन की अधीनस्थ सेवा का ग्रेड–I

(ii) हिन्दी अधिकारी

(iii) पंजाबी अधिकारी

(iv) उर्दू अधिकारी

(v) ज्येष्ठ आशुलिपिक (ग्रेड–I)

(vi) उपायुक्त का वैयक्तिक सहायक, दिल्ली

(vii) विधान सभा के रिपोर्टर

(viii) प्रेस अधिकारी

(ख) अंडमान और निकोबार प्रशासन के अधीन पद

(i) तहसीलदार

(ii) सहायक सचिव (लोक, वित्त विकास और स्थापन)

(iii) खजाना अधिकारी और रजिस्टार

(iv) खण्ड विकास अधिकारी

(v) अधीक्षक

(vi) लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारिता विभाग

(vii) सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियां

(ग) लक्षद्वीप प्रशासन के अधीन पद

(i) खण्ड विकास अधिकारी

(ii) अवर नियोजन अधिकारी

अनुसूची—3

(नियम 7 देखिए)

(1) अवर प्रशासन ग्रेड	विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों पर चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा	ग्रेड 1 में कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा वाला अधिकारी अवर प्रशासन ग्रेड में प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने का पात्र होगा। अवर प्रशासन ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अधिकारी की पात्रता अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख उस वर्ष का, जिसमें रिक्ति हुई है, 31 दिसम्बर होगी।
(2) चयन ग्रेड	अयोग्य पाए जाने की दशा में नामंजूर किए जाने के अधीन रहते हुए, ज्येष्ठता के क्रम में प्रोन्नति द्वारा।	ग्रेड 2 में कम से कम आठ वर्ष की नियमित सेवा वाला अधिकारी चयन ग्रेड में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का पात्र होगा।

अनुसूची—4

(नियम 7 देखिए)

क्रम सं	ग्रेड	विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना
(1)	अवर प्रशासन	(1) आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य—अध्यक्ष (2) गृह मंत्रालय का कोई अधिकारी, जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार की पंक्ति से नीचे का न हो। (3) मुख्य सचिव, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन। (4) मुख्य सचिव, अंडमान और निकोबार द्वीप या गृह मंत्रालय का कोई अधिकारी, जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे न हो। (5) प्रशासक, लक्षद्वीप।
(2)	ग्रेड-1 (चयन ग्रेड)	(1) गृह मंत्रालय में संघ राज्य क्षेत्र प्रभाग का भारसाधक अपर सचिव—अध्यक्ष (2) मुख्य सचिव, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन—सदस्य (3) मुख्य सचिव, अंडमान और निकोबार प्रशासन—सदस्य (4) प्रशासक, लक्षद्वीप—सदस्य

(3) ग्रेड–2	(प्रोन्नति/सम्मिलित किए जाने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति)
	(1) संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष/सदस्य––अध्यक्ष
	(2) संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय––सदस्य
	(3) मुख्य सचिव, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन––सदस्य
	(4) मुख्य सचिव, अंडमान और निकोबार द्वीप––सदस्य
	(5) प्रशासक, लक्षद्वीप––सदस्य
	(सीधी भर्ती की पुष्टि के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति)
	(1) गृह मंत्रालय में संघ राज्य क्षेत्र प्रभाग का भारसाधक अपर सचिव/संयुक्त सचिव––अध्यक्ष
	(2) मुख्य सचिव, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन–सदस्य
	(3) मुख्य सचिव, अंडमान और निकोबार प्रशासन––सदस्य
	(4) प्रशासक, लक्षद्वीप––सदस्य

टिप्पण : 1 संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य से भिन्न किसी सदस्य की अनुपस्थिति से विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी, यदि सदस्यों में से आधे से अधिक सदस्य, जिसके अंतर्गत समिति का अध्यक्ष भी है, उसकी बैठक में उपस्थित हुए थे ।

टिप्पण : 2 सेवा के ग्रेड 2 में सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति की पुष्टि के संबंध में विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां आयोग को अनुमोदन के लिए भेजी जाएंगी । किन्तु, यदि ये आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं की जाती हैं, तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी ।

[फा.सं. 14012/3/84–यूटीएम]
जे. श्रीवास्तव, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 1st March, 1995

G.S.R. 151.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Civil Service Rules, 1971, except as respects things done or omitted to be done, before such supersession, the President hereby makes the following rules namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Delhi, Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep Civil Service Rules, 1995.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

(2) Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Appointing Authority" in relation to any Grade means the authority empowered under the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, to make appointments to that Grade;

(b) "Administrator" means the Administrator appointed under article 239 of the Constitution for the Union Territories of Delhi, Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep as the case may be;

(c) "Appointed Day" means the date on which these rules shall come into force;

(d) "Cadre" means the Group of posts in the grade as specified in Rule 3 thereof;

(e) "Cadre Controlling Authority" means the Government of India in the Ministry of Home Affairs;

(f) "Commission" means the Union Public Service Commission;

(g) "Departmental Promotion Committee" means a committee constituted to consider promotion and confirmation in any grade;

(h) "Duty Post" means any post included in schedule I;

(i) "Government" means to the Government of India;

(j) "Grade" means any of the grades specified in rule 3;

(k) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

(l) "Service" means the Delhi, Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep Civil Service constituted under rule 3;

II. "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the same meaning as assigned to them respectively in Clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution.

3. Constitution of the Service and its classification.—(1) The Service shall have 3 Grades as specified in Schedule-I.

(2) The posts in Junior Administrative Grade and Grade I (Selection Grade) shall be Central Civil Group A posts and those in Grade II shall be Central Civil Group B posts.

4. Grade, strength and its review.—(1) The duty posts included in the various grades, their numbers and scales of pay on the date of commencement of these rules shall be as specified in schedule I.

Twenty per cent of the sanctioned strength of the posts in the service shall be in the Grade I (Selection Grade).

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Government may,—

(a) from time to time, make temporary additions or alterations to the duty posts in various grades;

(b) in consultation with the Commission, include in the Service such posts as can be deemed to be equivalent to the post included in the Service in status, grade, pay scale and professional content or exclude from the Service a duty post already included in the Service; and

(c) on the recommendation of the Commission appoint the regular incumbent of the post which has been included in the Service as a duty post to the appropriate grade of the service and fix his seniority in consultation with the Commission taking into account the regular service rendered in the analogous grade. The suitability of the regular incumbent of the post which has been included in the service as a duty post is assessed by the Commission for inclusion in the service.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule 2(b) and 2(c), in case any regular incumbent of the post which has been encadred in the service is not found suitable for appointment to the service under sub-rule 2(c) he will continue to hold the post and for the purpose the post will be treated to have been excluded from the service till it

is held by such incumbent. The suitability of such persons for induction in the service will be reviewed every year.

5. Member of the Service.—(1) The following persons shall be the members of the Service :—

(a) Persons appointed to duty posts under rule 6; and

(b) Persons appointed to duty posts under rule 7.

(2) A person appointed under clause (a) of sub-rule (1) shall, on such appointment, be deemed to be the member of the Service in the appropriate grade applicable to him in Schedule I.

(3) A person appointed under clause (b) of sub-rule (1) shall be a member of the Service in the appropriate grade applicable to him in Schedule I from the date of such appointment.

6. Initial constitution of Service.—(1) All existing officers holding duty posts on regular basis in Junior Administrative Grade, Grade I and Grade II of Delhi, Andaman & Nicobar Islands Civil Service shall be members of the Service in the respective grades.

(2) All the existing officers of Lakshadweep Administration holding posts which haee been encadred in the service shall continue to be in their respective posts and grades as existed before commencement of these rules till they become members of the service after their suitability has been assessed by the Commission. In case they are assessed suitable they shall be deemed to have been appointed to the appropriate grade from the date(s) of their regular appointment to such grades. In case any officer is not found suitable for appointment to the service, the encadred post held by him/her regularly will be treated as ex-cadre till he/she is inducted into the service or vacates the post and his/her case will be reviewed every year.

(3) The regular continuous service of officers referred to in sub-rule (1) & (2) before the commencement of these rules shall count for the purpose of probation, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service.

(4) To the extent the Controlling Authority is not able to fill authorised regular strength of various grades in accordance with the provisions of this rule, the same shall be filled in accordance with the provisions of rule 7 & 8.

7. Future maintenance of the Service.—(1) The vacancies in any of the grades referred to in Schedule I after the initial constitution under Rule 6, shall be filled in the manner hereinafter in this rule.

(2) (a) Fifty percent of the vacancies in Grade II of the Service shall be filled by direct recruitment on the basis of the Civil Services Examination conducted by the Commission; and

(b) Fifty percent of the vacancies in Grade II of the service shall be filled by selection from amongst officers holding posts mentioned in Schedule II with three years regular service in the grade on the basis of the recommendation of the appropriate committee specified in schedule IV.

NOTE.—The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion of the qualifying service in the respective grade or post. If the crucial date for one or more officers coming from different source is one and the same, the officer senior in age will be placed higher in the eligibility list.

(3) All the vacancies in the grades of Junior Administrative Grade and Selection Grade shall be filled by promotion from amongst the officers in the immediate respective lower grade with minimum qualifying service as specieiefied in Schedule III.

(4) The induction or promotion to all the grades shall be made by selection on merit except in the Grade I of the service in which case the appointment shall be made in consultation with Commission in the order of seniority subject to rejection of the unfit. The screening of the eligibility for appointment to Grade I of the Service will be done by the Departmental Promotion Committee concerned before the list alongwith the relevant records is sent for the Commission's consideration. The Commission if consider necessary may make appropriate changes in the list.

(5) The selection in each case under sub-rule (4) shall be on the recommendations of the Departmental Promotion Committee constituted in accordance with Schedule IV.

(6) If any officer appointed to any grade in the service is considered for the purpose of promotion to the higher post, all persons senior to him in the grade shall also be considered notwithstanding that they do not fulfil the prescribed eligibility service, if the shortfall is not more than one year and provided they have successfully completed their probation period.

8. Filling of Duty posts by deputation.—Notwithstanding anything contained in Rule 7, where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may for reasons to be recorded in writtng and in consultation with the Union Public Service Commission, fill a duty post in any grade by transfer on deputation including short term contract for a period not exceeding three years which may in special circumstances be extended upto five years. The qualification, experience and the eligibility service required for appointment to any grade of the Service under thses rules shall be decided by the Government in consultation with the Commission on each occasion.

9. Seniority.—(1) The relative seniority of members of the Service appointed to a grade of the Service, at the time of initial constitution of the Service under rule 6, shall be as obtaining on the date of commencement of these rules :

Provided that if the seniority of any such member had not been specifically determined on the said date, the same shall be as determined on the basis of the rules governing the fixation of seniority as were applicable to the memebrs of the Service prior to the commencement of these rules.

(2) The seniority of persons recruited to the Service after the initial constitution shall be determined in accordance with the general instructions issued by the Government in the matter from time to time.

10. Probation.—(1) Every officer on appointment to Grade II of the Service either by direct recruitment or by promotion shall be on probation for a period of two years.

Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time in this behalf.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, directly recruited officers shall, if considered fit for permanent appointment, be confirmed in terms of the extant orders of the Government.

(3) If, during the period of probation, or any extension thereof, as the case may be, Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, Government may discharge teh officer or revert him to the post held by him prior to his appointment in the Service, as the case may be.

(4) During the period of probation or any extension thereof an officer may be required by Government to undergo such courses of training or to pass such examinations or tests (including examination in Hindi) as the Government may deem fit, on such conditions as may be prescribed by the Government.

(5) As regards other matters relating to probation, the member of the Service will be governed by the orders or instructions issued by the Government in this regard from time to time.

11. Appointment to the Service.—All appointments to the Service shall be made by the Appointing Authority to Junior Administrative Grade, Grade I or Grade II of the Service and not against any specific post included in the Service.

12. Posting.—Every member of the Service allocated to an Administration shall, unless he is appointed to the Ex-cadre post, or is otherwise not available for holding a duty post owing to the exigencies of the Public Service, be posted against a duty post under the Administration by the Administrator concerned.

13. Allocation of members of the Service.—The Central Government shall allocate a member of the Service to the Administrations of the Union Territories of Delhi, Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep for being posted under the respective Administration.

14. Disqualification.—No person,

(a) who has entere d into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the Service :

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

15. Other conditions of service.—The conditions of service of members of the Service in respect of matters for which no specific provision has been made in these rules, shall be the same as are applicable, from time to time, to officers of equivalent rank of the Central Government.

16. Power to relax.—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

17. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation in age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

18. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be decided by the Government in consultation with the Commission

SCHEDULE—I

[See Rule 4(1)]

NAME, NUMBER AND SCALE OF PAY OF DUTY POSTS IN THE VARIOUS GRADES OF THE DELHI, ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS AND LAKSHADWEEP CIVIL SERVICE

A(a) Grades of the service and scales of pay :

1.	Junior Administrative made (Group A)	Rs. 3700—5000
2.	Selection Grade (Grade I) (Group A)	Rs. 3000—4500
3.	Grade I (Group B)	Rs. 2000– 3500

(b) Sanctioned strength

1.	Specific posts under Government of National Capital Territory of Delhi	256
2.	Specific post under Andaman & Nicobar Islands Administration	17
3.	Specific Posts under Lakshadweep Administration	13
4.	Deputation Leave and Training Reserve	92
	Total	378

(c) Reserve

1.	Deputation reserve twelve percent of 286	34
2.	Leare reserue ten percent of 286	29
3.	Training reserve teu percent 286	29
	Total	92

B. Posts in the Junior Administrative Grade

(a) Posts under Government of National Capital Territory of Delhi

1.	Joint Director of Social Welfare	2
2.	Joint Director of Education (Administration)	1
3.	Joint Director of Education (Finance)	1
4.	Joint Registrar of Cooperative Societies	2
5.	Joint Director of Training and Technical Education	1
6.	Joint Director of Industries	2
7.	Joint Direcior (Administration/Vigilance) Prevention of Food Adulteration	1
8.	Joint Director of Health Services	1
9.	Joint Director (Union Territory of Civil Services)	1
10.	Joint Director of Transport	1
11.	Joint Director of Administrative Reforms	1
12.	Joint Director of Agriculture and Marketing	1
13.	Deputy Commissioner of Excise	1
14.	Chief of Rehabilitation Services	1
15.	Secretary to Chief Executive Councillor/ Executive Councillors	4
16.	Deputy Commissioner of Food and Supplies	4
17.	Deputy Commissionr of Sales Tax	2
18.	Deputy Development Commissioner	1
19.	Deputy Secretary (Metropolitan Council)	1
20.	Assistant Commissioner of Sales Tax	9
21.	Additional District Magistrate	2
22.	Deputy Medical Superintendent/Director (Administration), L.N.J.P. Hospital	1
23.	Additional Director of Transport	1
24.	Joint Director of Industries	1
25.	Deputy Commissioner of Sales Tax Enforcement	1
26.	Deputy Medical Superintendent-cum-Director (Administration) in the G.B. Pant Hospital	1
27.	Addjtional District Magistrate-cum-Director (Panchayat)	1
28.	Competent Authority (Urban Land Ceiling Act)	1
		47

(b) Posts under the Andaman & Nicobar Administration

1.	Additional District Magistrte' Port Blair	1
2.	Registrar of Cooperative Societies	1
3.	Director of Rurel Development	1
4.	Director of Tribal Welfare	1
5.	Director (Transport)	1
6.	Deputy Secretary (Pradesh Council)	1
		6
	Total of (a) and (b)	53

C. Posts in Grade II and Grade I (Selection Grade)

(a) Posts under Government of National Capital Territory of Delhi

1. Deputy Registrar of Cooperative Societies	2
2. Assistant Director, Civil Supplies	1
3. Deputy Secretary	7
4. Under Secretary	5
5. Assistant Development Commissioner	2
6. Revenue Assistant	1
7. Land Acquisition Collector	5
8. District Collection Officer	1
9. Deputy Employment Officer/Sub-Regional Employment Officer/Employment Liaison Officer	18
10. Executive Magistrate	21
11. Sales Tax Officer	81
12. Entertainment Tax Officer	1
13. District Excise Officer	3
14. Assistant Housing Commissioner	7
15. Deputy Director of Industries	2
16. Administrative Officer, National Cadet Core/ Rashtriya Cadet Core	1
17. Administrative Officer, Maulana Azad Medical College	1
18. Assistant Director of Employment	1
19. Nazarat Officer	
20. Land Reforms-cum-Land Management Officer	1
21. Assistant Registrar of Cooperative Societies	11
22. Assistant Commissioner of Excise	1
23. Additional Entertainment Tax Officer	1
24. Collector of Stamps/District Stamps and Registration Officer	1
25. Administrative Officer, Drug Control Organisation	1
26. Administrative Officer, Deen Dayal Upadhyay Hospital	1
27. Administrative Officer, Nehru Homoeopathic College and Hospital	1
28. Administrative Officer, Family Welfare	1
29. Vigilance Officer, Directorate of Training and Technical Education	1 1
30. Excise Officer	2
31. Administrative Officer (Directorate of Education)	10
32. Deputy Director of Transport (Enforcement)	1
33. Assistant Director of Training (Union Territory Civil Services)	2
34. Administrative Officer (Department of Prevention of Food Adulteration)	1
35. Assistant Commissioner of Food and Supplies	3
36. Estate Officer, Maulana Azad Medical College	1
37. Settlement Officer	1
38. Deputy Director of Social Welfare	2
39. Administrtive Officer, College of Arts	1
40. Officer-in-charge (Manual and Litigation)	1
41. Deputy Registrar, Board of Technical Education	1
42. Administrative Officer, Directorate of Technical Education	1
43. Administrative Officer, [Office of the Chief Engineer (Irrigation and Food)]	1
	209

(b) Posts under the Andaman & Nicobar Administration

1. Assistant Commissioner, North and Middle Andaman Mayabundar	1
2. Assistant Commissioner, Nicobar	1
3. Assistant Commissioner, Settlement	1
4. Industries Officer	1
5. Assistant Commissioner, South Andaman	1
6. Supply Officer	1
7. Controller of Andaman Labour Force	1
8. Assistant Secretary, Planning	1
9. Assistant Commissioner, Tribal Welfare	1
10. Publicity Officer	1
11. Employment Officer	1
TOTAL	11

(c) Posts under Lakshadweep Administration

1. Secretary (Administration/Settlement Officer/ Deputy Collector)	3
2. District Employment Officer	1
3. Registrar, Co-opertive Societies	1
4. Information Officer	1
5. Directorate (Industries)	1
6. Vigilance Officer	1
7. Education officer with the charged designation Senior Administrative Officer (Education)	1
8. Director of Social Welfare	1
9. Secretary, Pradesh Council	1
10. Assistant Director (Planning)	1
11. Social Welfare Officer	1
TOTAL	13

Total of (a), (b) and (c) of C	233
Grand Total of B and C (53+233)	286
Deputation, Leave and Training Reserve	92
TOTAL	378

SCHEDULE—II

(See Rule)7

Posts /grade/service eligible for induction into Grade II

(a) Posts under the Government of National Capital Territory of Delhi

(i) Grade-I of Government of National Capital Territory of Delhi's subordinate service

(ii) Hindi Officer

(iii) Punjabi Officer

(iv) Urdu Officer

(v) Senior Stenographer (Grade-I)

(vi) Personal Assistant to Deputy Commissioner of Delhi

(vii) Reporters of the Legisiative Assembly

(viii) Press Officers

(b) Posts under the Andaman & Nicobar Administration

(i) Tahasildars

(ii) Assistant Secretary (Public, Finance Development and Establishment

(iii) Treasury Officer and Registar

(iv) Block Development Officer

(v) Superintendent

(vi) Audit Officer, Co-operative Department

(vii) Assistant Registrar of Co-operative Societies

(c) Posts under Lakshadweep Administration

(i) Block Development Officer

(ii) Junior Employment Officer

SCHEDULE III

(See Rules 7)

(1) Junior Administrative Grade	By Promotion on selection basis on the recommendations of the Departmental Promotion Committee.	An officer with minimum of five years of regular service in the Grade-I shall be eligible for being considering for promotive to Jr. Administration grade. The crucial date for determining the eligibility of officer for promotion to Junior Administrative Grade shall be 31st December, of the year in which the vacancy has occurred.
(2) Selection Grade	By promotion; the order of seniority subject to rejection of unfit.	An officer with minimum eight years of regular service in grade II shall be eligible for consideration for appointment to the selection grade.

SCHEDULE IV

(See Rule 7)

S.No. Grade	Composition of the Departmental Promotion Committee
(1) Junior Administrative Grade	(i) Chairman or a member of the Commission—Chairman
	(ii) An officer in the Ministry of Home Affairs not below the rank of Joint Secretary to the Government of India.
	(iii) Chief Secretary, Government of National Capital Territory of Delhi.
	(iv) Chief Secretary, the Andaman & Nicobar Islands or any Officer in the Ministry of Home Affairs not below the rank of Joint Secretary.
	(v) Administrator, Lakshadweep.
(2) Grade-I Selection Grade	(i) Additional Secretary in charge of Union Territory Division in the Ministry of Home Affairs—Chairman.
	(ii) Chief Secretary, Government of National Capital Territory of Delhi-Member.
	(iii) Chief Secretary, the Andaman & Nicobar Administration—Member.
	(iv) Administrator, Lakshadweep—Member.
(3) Grade—II	(Departmental Promotion Committee for Promotion/Induction)
	(i) Chairman/Member of the Union Public Service Commission—Chairman.
	(ii) Joint Secretary, Ministry of Home Affairs—Member.
	(iii) Chief Secretary, Government of National Capital Territory of Delhi—Member.
	(iv) Chief Secretary, The Andaman & Nicobar Islands—Member.
	(v) Administrator, Lakshadweep—Member.
	(Departmental Promotion Committee for Confirmation of Direct Recruit)
	(i) Additional Secretary/Joint Secretary in the charge of Union Territory Division in the Ministry of Home Affairs—Chairman.
	(ii) Chief Secretary, Government of National Capital Territory of Delhi—Member
	(iii) Chief Secretary, The Andaman & Nicobar Administration—Member.
	(iv) Administrator, Lakshadweep—Member.

Note 1 :

The absence of a Member other than Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall not invalidate the proceedings of the Departmental Promotion Committee if more than half the members including the Chairman of the Committee had attended its meetings.

Note 2 :

The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit to the grade II of the service shall be sent to the Commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

[No. 14012/3/84-UTS]

JALAJ SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1995

सा. का. नि. 152.—भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 15 अक्तूबर, 1994 के पृष्ठ 1652 में 1653 पर प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 508 तारीख 29 सितम्बर, 1994 में, असम राइफल्स (अधीक्षक) भर्ती नियम, 1994 की अनुसूची के स्तंभ 13 के नीचे "जिसमें निम्नलिखित होंगे" शब्दों का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. 1-45025/11/88-का.-II]
उ.च. नागिया, अवर सचिव]

CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th March, 1995

G.S.R. 152.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. G. S. R. 508 dated the 29th September, 1994 published at pages 1653 to 1655 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 15th October, 1994, in the Schedule to the Assam Rifles (Superintendent) Recruitment Rules, 1994, under column 13 the words "Convening of" shall be omitted.

[F. No. I-45025/11/88-Pers.II]
U. C. NANGIA, Under Secy.

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली, 15 मार्च, 1995

सा.का.नि. 153.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में ज्येष्ठ अभिलेखापाल के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (ज्येष्ठ अभिलेखापाल) भर्ती नियम, 1994 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा अर्हता आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बात वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
ज्येष्ठ अभिलेखा-पाल	13*(1994)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	950-20-1150-द.गे.-25-1500 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति//प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण ।	प्रोन्नति : संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में ऐसे अभिलेखपाल जिन्होंने 825-1200 रु. के वेतनमान में उस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में ऐसे अभिलेखपाल (825-1200 रु.) जिन्होंने अभिलेखपाल (825-1200 रु.) और दफ्तरी (775-1025 रु.) की श्रेणियों में कुल मिलाकर सात वर्ष नियमित सेवा की है । प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : (क) केन्द्रीय सरकार के अधीन संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में कार्यरत ऐसे व्यक्ति : (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने 825-1200 रु. या समतुल्य वेतनमान में उस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की है ।

12
(iii) जिन्होंने 825-1200 रु. और 775-1025 रु. के वेतनमान में कुल मिलाकर सात वर्ष नियमित सेवा की है । (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :— (i) उनके पास मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हताएं होनी चाहिए । (ii) उनको अंग्रेजी और/या हिन्दी में नेमो लिपिकीय कर्तव्यों का पालन करने के योग्य होना चाहिए । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग से इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कार्डर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) (i) उप सचिव (प्रशासन)/संयुक्त सचिव (प्रशासन) इनकी अनुपस्थिति में उप सचिव (प्रशासन), संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष (ii) अवर सचिव (परीक्षा), संघ लोक सेवा आयोग —सदस्य (iii) अवर सचिव (भर्ती), संघ लोक सेवा आयोग —सदस्य (iv) अवर सचिव या आयोग से बाहर का एक समतुल्य अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

[सं. 39021/7/93-स्था. (ख)]
बिजय कुमार, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS
(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 15th March, 1995

G. S. R. 153.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Record Keeper in the Office of Union Public Service Commission, namely :—

1. Short title and commencement :

(1) These rules may be called the Union Public Service Commission (Senior Record Keeper) Recruitment Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay :

The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc. :

The method of recruitmnt to the said post, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification :

No person -- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax :—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving: Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

ANNEXURE-I

Name of the post	Number of posts.	Classification	Scale of pay	Whether selection post or Non-selection post.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service Pension Rules, 1972	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Senior Record Keeper.	13* (1994) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 950-20-1150-EB-25-1500.	Non-selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and the percentage of the vacancies to be filled by various methods.
8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by transfer on deputation.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12	13	14
Promotion: **Record Keepers** in the scale of Rs. 825-1200, in the Office of the Union Public Service Commission having four years' regular service in the grade, failing which Record Keepers (Rs. 825-1200) in the office of the Union Public Service Commission with seven years' combined regular service in the grades of Record Keeper (Rs. 825-1200) and Daftry (Rs. 775-1025). Transfer on deputation : (a) Persons under the Central Government working in the Office of the Union Public Service Commission; (i) holding analogous post on a regular basis; or (ii) with four years' regular service in the scale of Rs. 825-1200 or equivalent.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) (i) Deputy Secretary (Administration)/Joint Secretary (Administration) in absence of Deputy Secretary (Administration), Union Public Service Commission—Chairman. (ii) Under Secretary (Examination), Union Public Service Commission—Member. (iii) Under Secretary (Recruitment), Union Public Service Commission—Member. (iv) Under Secretary or an equivalent officer from outside the Commission—Member.	Not applicable

12

(iii) with seven years' combined regular service in the scales of Rs. 825–1200 and Rs. 775–1025.

(b) Possessing the following educational qualifications and experience :

(i) should possess qualifications of matriculation pass or equivalent.

(ii) should be able to perform routine clerical duties in English and/or Hindi.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by transfer on deputation should be not exceeding 56 years as on the closing date of application).

[No. 39021/7/93—Estt. (B)]

VIJAY KUMAR, Desk Officer

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1995

सा.का.नि. 154 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग (तकनीकी सहायक) (लेखा) भर्ती नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग तकनीकी सहायक (लेखा) भर्ती (तीसरा संशोधन) नियम, 1994 है ।

2. संघ लोक सेवा आयोग (तकनीकी सहायक) (लेखा) भर्ती नियम, 1989 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
तकनीकी सहायक (लेखा)	पंद्रह (15)* 1994	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अनुसचिवीय	1400-40-1800-द.रो.-50-2300 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण किया जाएगा
11	12
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/स्थानांतरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी; (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने 1200–2040 रु. या समतुल्य वेतनमान में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ; और (ख) (i) जिनके पास रोकड़, लेखा और बजट कार्य का तीन वर्ष का अनुभव है ; या (ii) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान या समतुल्य में रोकड़, लेखा और बजट कार्य का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है । (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[सं. 39021/8/89-स्था. (ख)]
विजय कुमार, डेस्क अधिकारी

टिप्पण :—मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) तारीख 16 सितम्बर, 1989 में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 678 तारीख 30 अगस्त, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

New Delhi, the 20th March, 1995

G.S.R. 154.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Union Public Service Commission (Technical Assistant (Accounts)) Recruitment Rules, 1989, namely :—

1. (1) These rules may be called the Union Public Service Commission, Technical Assistant (Accounts) Recruitment Amendment Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For the Schedule to the Union Public Service Commission Technical Assistant (Accounts) Recruitment Rules, 1989, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of Post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection post, or non-selection post.	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Technical Assistant (Accounts)	15* (1994) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 1400-40-1800 EB-50-2300.	Not applicable	Not applicable.

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10	11
Not applicable.	Not applicable	Not applicable.	Not applicable.	By transfer on deputation/ transfer

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Transfer on deputation/transfer Officers of the Central Government— (a) (i) holding analogous posts on a regular basis or; (ii) with five years, regular service in the scale of Rs. 1200-2040 or equivalent; and (b) (i) possessing three years' experience in Cash, Accounts and Budget work, or; (ii) should have successfully completed training in Cash, Accounts and Budget work in the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent. (Period of deputation including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment on transfer on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of application).	Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

[No. 39021/8/89—Estt. (B)]

VIJAY KUMAR, Desk Officer

Footnote: The Principal Rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-Section (i), dated 16th September, 1989 vide G.S.R. No. 678 dated 30th August, 1989.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(स्वापक नियंत्रण ब्यूरो)

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1995

सा.का.नि. 155.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो में समूह 'क' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजस्व विभाग (स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो) समूह 'क', (संचार और कम्प्यूटर) पद भर्ती नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना : ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या जिनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि : भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हताएं : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
सहायक निदेशक (संचार)	1* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	3000-100-3500 125-4500 रु. और 300 रु. विशेष वेतन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए संबंधित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	सशस्त्र बल के पुनर्नियोजित कार्मिकों के लिए दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायगा
11	12
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण /पुनर्नियोजन।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (1) जो नियमित आधार पर संदृश पद धारण किए हुए है, या (2) जिन्होंने 2200-4000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है, या (3) जिन्होंने 2000–3500 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है: — (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से दूरसंचार इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य ; (2) संचार प्रणाली नेटवर्क की योजना, निष्पादन और उपापन के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव। सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/पुनर्नियोजन : सशस्त्र बल के मेजर या समतुल्य रैंक के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले है या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति व्यक्तियों के लिए विहित अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव है। यदि उनका चयन कर लिया जाता है तो ऐसें अधिकारियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाता है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन के निबंधनों पर बने रहने दिया जा सकता है। यदि ऐसे पात्र अधिकारी उस पद पर वास्तविक चयन के पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जा चुके हैं, तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर की जाएगी। (सिविल पदों के प्रतिनिर्देश की अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन) टिप्पण : (1) प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कायर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। (2) प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण के लिए अधिकतम आयु सीमा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायगा।
13	14
सशस्त्र बल के पुनर्नियोजित कर्मिकों की पुष्टि के संबंध में करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति : (1) उपमहानिदेशक स्थापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो—अध्यक्ष (2) उपनिदेशक, स्थापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो–सदस्य (3) उपनिदेशक, स्थापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो–सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7
तंत्र प्रबंधक	1* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, राजपत्रित, अनुसचिवीय	3000-100-3500-125-4500 रु. और 200 रु. विशेष वेतन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	सशस्त्र बल के पुनर्नियोजित कार्मिकों के लिए दो वर्ष।

11	12
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/पुनर्नियोजन	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने 2200–4000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है, या (iii) जिन्होंने 2000–3500 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर उपयोजन में मास्टर डिग्री/मास्टर आंध टेक्नालाजी (कम्प्यूटर उपयोजन में विशेषज्ञता सहित) या कम्प्यूटर इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर विज्ञान में डिग्री या समतुल्य। (2) इलेक्ट्रानिक डाटा संसाधन कार्य में पांच वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम दो वर्ष का अनुभव इलैक्ट्रोनिक कम्प्यूटर पर वास्तविक कार्यक्रमण में होना चाहिए। या (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान/सांख्यिकी/संक्रिया अनुसंधान या गणित/अर्थशास्त्र/वाणिज्य (सांख्यिकी सहित) में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य।

(2) इलैक्ट्रानिक डाटा संसाधन कार्य में सात वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम तीन वर्ष का अनुभव इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर पर वास्तविक कार्यक्रमण में होना चाहिए ।

सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/पुनर्नियोजन सशस्त्र बल के मेजर या समतुल्य रैंक के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं। यदि उनका चयन कर लिया जाता है तो ऐसे अधिकारियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन के निबंधनों पर बने रहने दिया जा सकता है। यदि ऐसे पात्र अधिकारी उस पद पर वास्तविक चयन से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए है या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जा चुके हैं, तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर की जाएगी। सिविल पदों के प्रतिनिर्देश से अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन)

टिप्पण :

(1) प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन (विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(2) प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी

13	14
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (सशस्त्र बल के पुनर्नियोजित कार्मिकों की पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।
1. उपमहानिदेशक, स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो—अध्यक्ष	
2. उपनिदेशक, स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो—सदस्य ।	
3. उपनिदेशक, स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो —सदस्य ।	

[फा.सं. IV/14/93-एन सी बी (समन्वय)]

लखबीर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Narcotics Control Bureau)

New Delhi, the 20th March, 1995

G.S.R. 155.—In exerrise of the powers ronferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' posts in the Narcotics Control Bureau in the Department of Revenue, Ministry of Finance, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Revenue (Narcotics Control Bureau) Group 'A' (Communications and Computer) posts Recruitment Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in Column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the said schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc. and other matters relating thereto shall be specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

5. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of Post	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether selection or non-selection post
1	2	3	4	5
Assistant Director (Communication)	1* (1994) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	3000-100-3500-125-4500+Rs. 300/- Special pay	Not applicable

Age limit for direct recruits.	Whether benefit of added years of service admissible	Educational & other qualification required for direct recruits.	Whether age & educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any
6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for armed forces personnel re-employed

Method of recruitment, other by direct recruitment. or by promotion/ or by deputation/transfer & percentage of the vacancy to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental promotion committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public service Commission is to be consulted in making recruitments.
11	12	13	14
Transfer on deputation for armed forces Personnel transfer on deputation/re-Employment	Transfer on deputation Officers under the Central Government: (a) (i) Holding analogous posts on regular basis;	Group 'A' departmental promotion committee for considering confirmation of armed force personnel re-employed	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

11	12	13	14
	OR (ii) With five years' regular service in posts in the scale, of Rs. 2200-4000 or equivalent; or (iii) With 8 years regular service in posts in the scale of Rs. 2000-3500 or equivalent; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience; (i) Degree in Telecommunication engineering from a recognised University or equivalent. (ii) Five years experience in the field of planning, execution and procurement of communication system network, For armed forces personnel Transfer on deputation/Re-employment Armed forces personnel of the rank of major or equivalent and who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite qualifications and experience prescribed for deputationists shall also be considered if selected such officers will be given deputation terms upto the date for which they are due for release from the armed forces; thereafter they may be continued on re-Employment basis, in case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment will be on Re-Employment basis. (Re-Employment upto the age of superannuation with reference to civil posts). NOTE: (1) Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some or other organisation/ department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years.	(i) Deputy Director General narcotics control bureau—Chairman (ii) Deputy Director, Narcotics control bureau—Member (iii) Deputy Director, Narcotics control bureau—Member	

12				
	(2) Maximum age limit for transfer on deputation shall be 56 years on the last date of the receipt of applications.			

1	2	3	4	5
Systems Manager	01* (1994) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	3000-100-3500-125-4500+Rs. 200 Special Pay	Not applicable

6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for armsed forces personnel re-Employed

11	12	13	14
Transfer on deputation for Armed Forces Personnel Transfer on deputation/ Re-Employment	Transfer on Deputation : Officers under the central Government— (a) (i) Holding analogous posts on a regular basis; or (ii) With 5 years regular-service in posts in the scale of Rs. 2200-4000 or equivalent; or (iii) With 8 years' regular service in posts in the scale of Rs. 2000-3500 or equivalent; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience— A. (i) Master's degree in computer application/Master of technology. (With specialisation in computer application) Degree in computer engineering/technology/Computer science from a recognised university or equivalent. (ii) 5 years experience of electronic data processing work out of which at least two years' should be in actual programming on an electronic computer.	Group 'A' departmental promotion committee (for considering confirmation for Armed Forces personnel Re-Employed): 1. Deputy Director General Narcotics Control Bureau—Chairman 2. Deputy Director, Narcotics Control Bureau—Member. 3. Deputy Director, Narcotics Control Bureau—Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

12

OR

8. (i) Master's degree in physics/ statistics/operation research or mathematics/ economics/commerce with statistics or degree in engineering from a recognised university or equivalent.

(ii) 7 years' experience of electronic data processing work out of which at least three years experience should be in actual programming on an electronic computer.

For armed forces personnel

Transfer on deputation/re-employment

Armed Forces personnel of the rank of major or equivalent and who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and having the qualifications and experience prescribed for deputationists shall also be considered. If selected, such officers will be given deputation terms upto the date for which they are due for release from the armed forces, thereafter, they may be continued on re-employment basis. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment will be on re-employment basis. (Re-Employement upto the age of superannuation with reference to civil posts).

NOTE:

(1) Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Govt. shall not ordinarily exceed 3 years.

(2) Maximum age limit for transfer on deputation shall be 56 years on the last date of the receipt of application.

[F. No. IV/14/93—NCB (Coord)]

LAKHBIR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1995

सा.का.नि. 156:– राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) स्टाफ कार ड्राईवर और सवार हरकारा/स्कूटर ड्राईवर भर्ती नियम, 82 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में स्टाफ कार ड्राईवर और सवार हरकारा/स्कूटर ड्राईवर के पदों पर भर्ती की पद्धति का नियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय (राजस्व) स्टाफ कार ड्राईवर और सवार हरकारा/स्कूटर ड्राईवर भर्ती नियम, 1994 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे , जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा के जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1. स्टाफ कार ड्राईवर-I	6 * *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	1320-30-1560-द.रो.-40-2040 रु.	चयन (ज्येष्ठता सह-उपयुक्तता)	नहीं	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा	(क) श्रेणी II में छह वर्ष की नियमित सेवा । 1. अंग्रेजी की संख्या और अंक आदि पढ़ सकता हो । 2. यातायात विनियमों का संपूर्ण ज्ञान हो । 3. पेट्रोल और डीजल इंजन के कार्यकरण का अच्छा ज्ञान और त्रुटियों का पता लगाने तथा छोटी-मोटी चालन खराबियों को सुधारने के योग्य हो । 4. कार्बुरेटर, प्लग आदि को साफ करने के योग्य हो । (ख) उपर्युक्त पर आधारित व्यावसायिक परीक्षण में उत्तीर्ण होना ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित में से मिलकर बनेगी :— अवर सचिव (प्रशा. I बी) अवर सचिव (प्रशा. I) अवर सचिव (जी.ए. आर.)	लागू नही होता

1	2	3	4	5	6	7
2. स्टाफ कार ड्राईवर (श्रेणी II)	7* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	1200-30-1440-द.रो.-30-1800 रु०	अचयन (ज्येष्ठता सह-उपयुक्तता)	नहीं	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

11	12
प्रोन्नति द्वारा	(क) सामान्य श्रेणी में 9 वर्ष की नियमित सेवा । 1. अंग्रेजी की संख्या और अंक आदि पढ़ सकता हो । 2. यातायात विनियमों का सम्पूर्ण ज्ञान हो । 3. त्रुटियों का पता लगाने और छोटी मोटी चालक त्रुटियों को दूर करने के योग्य हो । 4. चक्के बदलने और टायरों में ठीक-ठीक हवा भरने के योग्य हो । (ख) उपयुक्त पर आधारित व्यावसायिक परीक्षण में उत्तीर्ण होना ।

13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी । 1. अवर सचिव (प्रशा. I बी) 2. अवर सचिव (प्रशा. I) 3. अवर सचिव (जी ए आर)	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
3. स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी)	16* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अनुसचिवीय	950-20-1150-ई.रो.-25-1500 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	23-30 वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है । टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में है) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी ।

7
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

8	9	10
आवश्यक (i) जिनके पास मोटर कार चलाने के लिए विधि मान्य चालन अनुज्ञप्ति है । (ii) मोटर मैकेनिक का ज्ञान हो । (iii) मोटर कार चलाने का कम से कम चार वर्ष का अनुभव हो । वांछनीय : (1) आठवां स्तर उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	दो वर्ष

11	12
स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	राजस्व विभाग के उन नियमित सवार/हरकारा/स्कूटर ड्राईवर/समूह "घ" कर्मचारियों में से स्थानांतरण द्वारा जिसका आधार स्टाफ कार ड्राईवरों के लिए आवश्यक समझी गई सक्षमता के स्तर के प्रतिनिर्देश से उस पद के लिए उपयुक्तता की जांच करने के लिए तैयार किए गए चालन आदि में परिक्षण होगा । जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम पांच वर्ष सेवा की है या सवार/हरकारा/स्कूटर ड्राईवर और अन्य समूह "घ" पदों पर कुल मिलाकर पांच वर्ष सेवा की है और जिनके पास इस अनुसूची के स्तंभ 4 में यथाविहित अर्हताएं हैं ।

13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :– अवर सचिव (प्रशा.–I बी) अवर सचिव (प्रशा.–I) अवर सचिव (जी.ए.आर.)	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
4. मयार हरकारा स्कूटर ड्राईवर	2* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	950-20-1150-ई.बी.-25-1400 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	23-30 वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है । टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में है) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

8	9	30
आवश्यक : जिनके पास मोटर साईकल/तिपहिया स्कूटर चलाने के लिए विद्यमान चालन अनुज्ञप्ति है और मोटर मैकिनिकी का ज्ञान है और मोटर साईकल/तिपहिया स्कूटर चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव है । वांछनीय : आठवां स्तर उत्तीर्ण ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

11	12
स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	स्थानान्तरण : राजस्व विभाग के उन नियमित समूह "घ" कर्मचारियों में से स्थानान्तरण द्वारा जिसका आधार मोटर साईकिल/

12
तिपहिया स्कूटर चलाने के लिए आवश्यक समझी गई सक्षमता स्तर के प्रतिनिर्देश से उस पद के लिए उपयुक्तता की जांच करने के लिए तैयार किए गए चालक परीक्षण होगा जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम तीन वर्ष सेवा की है और जिनके पास स्तंभ 8 में यथाविहित अर्हताएं हैं ।

13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : अवर सचिव (प्रशा.-1 बी) अवर सचिव (प्रशा. 1) अवर सचिव (जी.ए.आर.)	लागू नही होता

[अधिसूचना सं. ए-12018/11/94-एडीआईबी]

रमेश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 21st March, 1995

G.S.R. 156.—In exercise of the powers conferred by the provision to artirle 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Staff Car Drivers and Despatch Riders/Scooter Drivers Recruitment Rule, 1982 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the posts of Staff Car Drivers and Despatch Riders/ Scooter Drivers in the Ministry of Finance (Department of Revenue), namely :—

1. Short title and commencement : (1) These rules may be called the Ministry of Finance (Department of Revenue) Staff Car Drivers and Despatch Riders/Scooter Drivers Recruitment Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post(s), its classification and scale of pay :— The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be specified in Columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age limit, qualification, etc : The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications other matters connected therewith shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said schedule.

4. Disqualification—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax : Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving : Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay
1	2	3	4
1. Staff Car Driver (Grade-I)	6* *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 1320-30-1560-EB-40-2040.

Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972	Age limit for Direct Recruits	Educational & other qualifications required for Direct Recruits
5	6	7	8
Non-Selection (Seniority-cum-fitness)	No	Not applicable	Not applicable

Whether age limit prescribed for Direct Recruits will apply in the case of Departmental candidate	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by Direct Recruitment, or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
9	10	11
Not applicable	2 years	By promotion

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a D.P.C. exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
12	13	14
(a) 6 years regular service in Grade-2. (1) Must be able to read English numerals and figures. (2) Must have a thorough knowledge of Traffic regulations. (3) Must have good knowledge of petrol & Diesel Engine working and be able to locate faults and rectify minor running defects. (4) Must be able to clear carburetor, plug etc. (b) Passing of Trade test based on the above.	Group 'C' Departmental Promotion Committee comprising of: Under Secretary (Ad. 1B) Under Secretary (Ad. 1) Under Secretary (GAR)	Not applicable.

1	2	3	4
2. Staff Car Driver (Grade-2)	7* *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 1200-30-1440-EB-30-1800.

5	6	7	8
Non-Selection (Seniority-cum-fitness)	No	Not applicable	Not applicable

9	10	11
Not applicable	2 years	By promotion.

12	13	14
(a) 9 years regular service in ordinary grade. (1) Must be able to read English numerals and figures. (2) Must have good knowledge of Traffic Regulations. (3) Must be able to locate faults and carry out minor running faults. (4) Must be able to change wheels and correctly inflate tyres. (b) Passing of Trade Test based on the above.	Group 'C' Departmental Promotion Committee comprising of: Under Secretary (Ad. 1B) Under Secretary (Ad. 1) Under Secretary (GAR)	Not applicable.

1	2	3	4
Staff Car Driver (Ordinary Grade)	16* *Subject to variation depending on workload	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 950-20-1150-EB-25-1500

5	6	7	8
Not applicable	No.	23—30 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than those in the Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep). In case of appointment made through the Employment Exchange, the crucial date shall be the last date upto which Employment Exchange, is asked to submit the names.	Essential : (i) Possession of a valid driving licence for motor car (ii) Knowledge of motor mechanician. (iii) Experience of driving a motor car for at least 4 years. Desirable : (i) Pass in VIIIth standard

9	10	11
Not applicable	2 years	By transfer failing which by Direct Recruitment.

12	13	14
By transfer on the basis of a test in driving etc. designed to adjudge suitability for the post with reference to standard of competence considered essential for drivers of Staff Cars from amongst regular Despatch Riders/ Scooter Drivers/Group 'D' employees of the Department of Revenue with a minimum of 5 years service in the grade, or a combined total of 5 years service as Despatch Riders/ Scooter Driver and in other Grade 'D' posts and possessing qualifications as prescribed in Column 4 of the Schedule.	Group 'C' Departmental Promotion Committee comprising of: Under Secretary (Ad. 1B) Under Secretary (Ad. 1) Under Secretary (GAR)	Not applicable.

1	2	3	4
Despatch Riders/Scooter Drivers	2* *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 950-20-1150-EB-25-1400.

5	6	7	8
Not applicable.	No	23-30 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep). In case of appointment made through the Employment Exchange, the crucial date shall be the last date upto which Employment Exchange, is asked to submit the names.	Essential : Possession of a valid driving licence for motor cycle/three wheeler scooter and having knowledge of motor mechanics with a minimum of 3 years experience of driving a motor cycle/three wheeler scooter. Desirable : Pass in VIIIth Standard.

9	10	11
Not applicable	2 years	By transfer, failing which by Direct Recruitment.

12	13	14
Transfer : By transfer, on the basis of a test in driving to	Group 'C' Departmental Promotion Committee comprising	Not applicable.

12	13
adjudge suitability for the post with reference to standard of competence considered essential in driving a motor cycle/three wheeler scooter from amongst the regular Group 'D' employees of the Department of Revenue having a minimum of 3 years service in the grade and possessing qualifications as prescribed in Column 8.	of: Under Secretary (Ad. 1B) Under Secretary (Ad. I) Under Secretary (GAR)

[Notification No. A-12018/11/94-AD. IB]

RAMESH KUMAR, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पाद एव सीमा शुल्क समाहर्तालय

अधिसूचना संख्या 1/1995, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

जयपुर, 2 मार्च, 1995

सा.का.नि. 157—केन्द्रीय उत्पाद नियम, 1944 के नियम 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, बी.बी. शर्मा, समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के नियम 12 व 13 के अंतर्गत मुझमें निहित शक्तियों और इन्हीं नियमों के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं आदि को इस समाहर्तालय के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संभागों के प्रभारी सहायक समाहर्ताओं को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए प्रत्यायोजित करता हूं ।

[फा. सं.-IV(16)87-पोलिसी/94/114]

बी. बी. शर्मा, समाहर्ता

CENTRAL EXCISE COLLECTORATE

NOTIFICATION No. 1/1995-CENTRAL EXCISE

Jaipur, the 2nd March, 1995

G.S.R. 157.—In exercise of the powers conferred on me under Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I, B. B. Sharma, Collector of Central Excise, Jaipur, delegate the powers vested in me under Rules 12 and 13 of the Central Excise Rules, 1944, and the notifications issued under these Rules so far, to the Assistant Collectors of Central Excise incharge of the Central Excise Divisions in this Collectorate, to be exercised within their respective jurisdictions.

[C. No. IV(16)87-POLICY/94/114]

B. B. SHARMA, Collector

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1995

सा०का०नि० 158.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मत्स्य उद्योग, नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (समूह "ग") भर्ती नियम, 1977 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मत्स्य उद्योग, नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (समूह "ग") भर्ती (संशोधन) नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मत्स्य उद्योग, नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (समूह "ग") भर्ती नियम, 1977 की अनुसूची में ज्येष्ठ डेकहैंड एवं रसोइया के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	6(क)
5. रसोइया श्रेणी-1	5* (1994) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अनन्सचिवीय	975-25-1150-द०रो० 30-1540 ब०	चयन	18 और 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है)।	नहीं

टिप्पणी :—

1. आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

2. रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों के नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक :— मिडिल स्कूल स्तर और मछली पकड़ने का जलयान में तीन वर्ष का अनुभव । टिप्पणी :— 1. अर्हताएं अन्यथा सुग्रहित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । 2. अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उन के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां ।	केवल भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
10	11
शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	ऐसा रसोइया श्रेणी-II कनिष्ठ डेकहैंड सह-रसोइया जिसने 825-15-900द०रो०-20-1200 रु० की श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. निदेशक केन्द्रीय मत्स्य उद्योग, नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोची—अध्यक्ष 2. उप निदेशक, केन्द्रीय मत्स्य उद्योग, नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान का एकक, मद्रास—सदस्य 3. उप निदेशक, केन्द्रीय मत्स्य उद्योग, नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान का एकक, विशाखापटनम—सदस्य 4. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय मत्स्य उद्योग, नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोची—सदस्य 5. संबद्ध अनुभाग का एक ज्येष्ठ अधिकारी—सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा०सं० 3-17/88-मत्स्य (प्रशा०)]

देवेन्द्र नाथ, अवर सचिव

टिप्पणी :—मूल नियम सा०का०नि० सं० 334 तारीख 12-3-1977 और उसके पश्चात् संशोधित सा०का०नि० सं० 163 तारीख 1-3-1986 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गए थे ।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 14th March, 1995

G.S.R. 158.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training (Group 'C') Recruitment Rules, 1977, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training (Group 'C') Recruitment (Amendment) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training (Group 'C') Recruitment Rules, 1977, for serial number 5 and the entries relating to the posts of Senior-Deckhand-cum-Cook, the following serial number and the entries shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post.	Whether benefit of added years service admissible under rule 30 of the Civil Service (Pension) Rules, 1972.	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	6
5. Cook Grade-I	5* (1994) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted. Non-Ministerial.	Rs. 975-25-1150 EB-30-1540.	Selection	No	Between 18 and 25 years. (Relaxable upto 40 years for Government Servent in accordance with the instructions or order issued by the Central Government). Note : 1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidate in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi-Sub-division Chamb District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. 2. In respect of post to which appointment is made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit, in each case, shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any,
7	8	9
Essential : Middle School standard with experience in fishing vessels for 3 years. Note: 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. 2. The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled/Castes/Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Age : No. Educational Qualifications : Yes.	2 years for direct rerecruits.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades grades from which promotion/deputation/transfer to be made.
10	11
100% by promotion failing which, by direct recruitment.	CookGrade-II/Juniors Deckhand-cum-Cook with 2 years regular service in the grade or Rs. 825-15-900-EB-20-1200.

If a Departmental Promotion Committee exists, What is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12	13
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of : 1. Director, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Kochi. —Chairman 2. Deputy Director, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training Unit, Madras — Member. 3. Deputy Director, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training Unit, Visakhapatnam. — Member. 4. Senior Administrative Officer, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Kochi. — Member. 5. One Senior Officer of concerned Section. — Member.	Not applicable."

[F. No. 3-17/88 Fy (Admn.)]
DEVINDAR NATH, Under Secy.

Note:—The Prinbipal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 334 dated 12-3-1977 and subsequently amended vide number G.S.R. 163 dated 1-3-1986.

कृषि मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1995

सा.का.नि. 159:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1979 की अनुसूची में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 5 और इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

[फा.सं. 6-54/92-उर्वरक योजना]

ए.के. सेन गुप्ता, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि.सं. 839 तारीख 29-5-79 के द्वारा प्रकाशित किये गये थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किये गए :

सा.का.नि. 343 तारीख 30-4-83

सा.का.नि. 688 तारीख 17-9-83

सा.का.नि. 233 तारीख 2-3-85

सा.का.नि. 969 तारीख 8-11-86

सा.का.नि. 1118 तारीख 27-12-86

सा.का.नि. 323 तारीख 6-5-86

और सा.का.नि. 135 तारीख 9-4-90.

(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 24th March, 1995

G.S.R. 159.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Fertiliser Quality Control and Training Institute, Faridabad (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1979, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Fertiliser Quality Control and Training Institute, Faridabad (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. In the Central Fertiliser Quality Control and Training Institute, Faridabad (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1979, in the Schedule, serial number 5 relating to the post of Librarian and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. 6-54/92-Fert.Plg.]

A. K. SENGUPTA, Under Secy.

NOTE.—The principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR 839 dated 29-5-79 and subsequently amended vide :

GSR 343, dated 30-4-83, GSR 688, dated 17-9-83, GSR 233, dated 2-3-85, GSR 969, dated 8-11-86, GSR 1118, dated 27-12-86, GSR 323, dated 6-5-89 and GSR 135, dated 9-4-90.

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1995

सा.का.नि. 160.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद (समूह "ग" और "घ" पद) भर्ती नियम, 1977 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद (समूह "ग" और "घ" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद (समूह "ग" और "घ" पद) भर्ती नियम, 1977 की अनुसूची में हिन्दी अनुवादक के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां जोड़ी जावेंगी, अर्थात् :—

अनुसूची

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
18.	पुस्तकालय और सूचना सहायक	1* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	1400-40-1600-50-2300-द.रो.-60-2600 रु.	लागू नहीं होता	28 वर्ष से अधिक नहीं। केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक) की जा सकती है । टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य। (2) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या समतुल्य ; टिप्पण : अर्हताएं अन्यथा सुग्रहित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा
11	12
सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण पर या लम्बी छुट्टी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परि-	लागू नहीं होता ।

11	12
स्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिये बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण पर भरी जा सकेंगी जो नियमित आधार पर पद्रण पदधारण किये हुए हैं और जिनके पास स्तम्भ 8 के अधीन सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित अर्हताएं हैं।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिये) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. निदेशक केन्द्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद—अध्यक्ष 2. मुख्य विश्लेषक, केन्द्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद—सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद—सदस्य 4. बाहर से एक राजपत्रित अधिकारी—सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. 6-54/92-उर्वरक योजना]

ए. के. सेनगुप्ता, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि.सं. 1335 तारीख 8-10-77 द्वारा प्रकाशित किये गये थे और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित किये गये :—

(1) सा.का.नि. 204 तारीख 10-2-79
(2) सा.का.नि. 124 तारीख 26-2-80
(3) सा.का.नि. 279 तारीख 9-4-83
(4) सा.का.नि. 398 तारीख 21-5-83
(5) सा.का.नि. 352 तारीख 7-4-84
(6) सा.का.नि. 457 तारीख 13-6-87
(7) सा.का.नि. 628 तारीख 18-12-93

New Delhi, the 24th March, 1995

G.S.R. 160 :—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the Prdsident hereby makes the following rules further to amend the Central Fertiliser Quality Control and Training Institute, Faridabad (Group 'C' and 'D' Posts) Recruitment Rules, 1977, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Fertiliser Quality Control and Training Institute, Faridabad (Group 'C' and Group 'D' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1995.

(2) In the Central Fertiliser Quality Control and Training Institute, Faridabad (Group 'C' and Group 'D' Posts) Recruitment Rules, 1977, in the Schedule, after serial number 17 relating to the post of Hindi Translator and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be added, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay
1	2	3	4	5
18.	Library and Information Assistant.	1* (1994)	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600.

*Subject to variation dependent on workload.

Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
6	7	8
Not applicable.	Not exceeding 28 years. (Relaxable upto 40 years (upto 45 years in the case of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes candidates in case of the Government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govt. Note : The crucial date for determining the age limit shall be, as advertised by the Staff Selection Commission.	Essential : (1) Degree of a recognised University or equivalent)! (2) A Degree in Library Science from a recognised University or equivalent; Note : Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
9	10	11
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment. Note : Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long leave or study leave or[under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on transfer on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column 8.

In case of recruitment by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/ transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Not applicable.	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— 1. Director, Central Fertiliser A Quality Control and Training Institute, Faridabad —Chairman. 2. Chief Analyst, Central Fertiliser Quality Control and Training Institute—Member. 3. Administrative Officer, Central Fertiliser Quality Control and Training Insitute, Faridabad—Member. 4. One Gazetted Officer from outside—Member.	Not applicable.

[File No. 6-54/92-Fert. Plg.]

A.K. SENGUPTA, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 1335 dated 8-10-77 and subsequently amended vide :—

(i) GSR 204 dated 10-2-79
(ii) GSR 124 dated 26-1-80
(iii) GSR 297 dated 9-4-83
(iv) GSR 398 dated 21-5-83
(v) GSR 352 dated 7-4-84
(vi) GSR 457 dated 13-6-87
(vii) GSR 628 dated 18-12-93

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1995

सा०का०नि० 161.—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्टाफ कार ड्राईवर) भर्ती नियमावली, 1986 के अतिक्रमण में, ऐसे अतिक्रमण से पूर्व किए गए अथवा छोड़े जाने वाले कार्यों को छोड़कर राष्ट्रपति एतद्द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग में स्टाफ कार ड्राईवरों के पद के लिए भर्ती की प्रणाली का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं नामत :—

1. लघु शीर्षक तथा आरम्भ होना :—

(i) इन नियमों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, स्टाफ कार ड्राईवर वर्ग "ग" पद भर्ती नियमावली 1995 कहा जाए।

(ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. अनुप्रयोग :—ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 1 में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :—

इन पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतनमान संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में निर्दिष्ट है।

4. भर्ती की प्रणाली, आयु सीमा तथा योग्यता इत्यादि :—

उक्त पद के लिए भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, योग्यतायें और अन्य मामले वही होंगे जो पूर्वोक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 14 में निर्दिष्ट हैं।

5. अयोग्यतायें :

कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसने

(क) किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह का अनुबंध अथवा विवाह किया है जिसका पति/पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) पति/पत्नी जीवित रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह अथवा विवाह का अनुबंध किया है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा बशर्ते केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के कुछ अन्य आधार भी हैं। किसी व्यक्ति को इस नियम में छूट दी जा सकती है।

6. रियायत देने की शक्ति :—

जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक तथा उचित है, तो वह लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए आदेश द्वारा किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपलब्ध में रियायत दे सकती है।

7. बचत :—

केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए जाने वाले आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य वर्गों के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है या अचयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत जोड़े गए वर्षों का लाभ अनुज्ञेय है	सीधी भर्ती की आयु	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यतायें
1	2	3	4	5	6	7	8
1. स्टाफ कार ड्राईवर वर्ग-1	2* (1995) *कार्यभार के आधार पर संख्या भिन्न-भिन्न हो सकती है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग "ख" अराजपत्रित लिपिकवर्गीय	1320-30-1560-ई०रो०-40-2040 रु०	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और अर्हतायें क्या पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में भी लागू होगा	परिवीक्षाधीन अवधि यदि कोई है	भर्ती की पद्धति क्या है सीधी भर्ती द्वारा, स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानांतरण द्वारा की जाने वाली भर्ती के मामले में, वे कौन से ग्रेड हैं जिनमें प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानांतरण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	पदोन्नति द्वारा	स्टाफ कार ड्राईवर ग्रेड-II जिनकी छह वर्ष की नियमित	पदोन्नति और स्थायीकरण संबंध वर्ग "ग"	लागू नहीं होता

				सेवा हो और व्यवसाय से संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण की हो जिसकी पाठ्यचर्या इस प्रकार होगी :— (i) अंग्रेजी संख्यायें और आंकड़े पढ़ सकता हो। (ii) ट्रैफिक नियमों और विनियमों का अच्छा ज्ञान हो। (iii) हल्की मोटर गाड़ियों के दोषों का पता लगा सकता हो और उनकी छोटी-मोटी मरम्मत कर सकता हो। (iv) पहिये बदल सकता हो और हल्की मोटर गाड़ियों के पहियों में ठीक प्रकार से हवा भर सकता हो। टिप्पणी :—मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग में कार्यरत स्टाफ कार ड्राईवर, जिनकी इन नियमों के लागू होने की तारीख को ग्रेड में पन्द्रह वर्ष की नियमित सेवा होगी, इस पद पर नियुक्त किए जायेंगे बशर्ते उन्हें विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वरिष्ठता और स्वस्थता और व्यवसाय संबंधी परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर योग्य पाया जाए।	विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें निम्न-लिखित हैं :— 1. निदेशक /उप सचिव-अध्यक्ष (प्रशासन) 2. अवर सचिव—सदस्य 3. अवर सचिव (स्था० III) —सदस्य		

1	2	3	4	5	6	7	8
2. स्टाफ कार ड्राईवर ग्रेड-II	3* (1995)	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप सी अराज-पत्रित गैर अनुसचिवीय *कार्यभार के आधार पर पद घट बढ़ सकते हैं।	1200-30-1440-ई-रो-30-1800	गैर-चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा	स्टाफ कार चालक सामान्य ग्रेड जिसमें 9 वर्ष की नियमित सेवा हो और "ट्रेड" परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो जिसका पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा :— (i) अंग्रजी अंकों और संख्याओं को पढ़ने की क्षमता अनिवार्य ; (ii) यातायात के नियमों की अच्छी जानकारी अनिवार्य; (iii) हल्की मोटर गाड़ियों में स्थानीय त्रुटियां ढूंढ पाने और छोटी-मोटी मरम्मत करने में सक्षमता अनिवार्य । (iv) हल्के मोटर वाहनों के टायर बदलने और उनमें सही प्रकार हवा भरने में सक्षमता अनिवार्य । टिप्पणी :—इन नियमों के जारी होने की तारीख से इस ग्रेड में नौ वर्ष की नियमित सेवा वाले और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग में कार्यरत स्टाफ कार चालकों को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा बशर्ते वे वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा योग्य पाए गए हों और उन्होंने ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण की हो।	1. निदेशक/उप सचिव (प्रशासन)—अध्यक्ष 2. अवर सचिव—सदस्य 3. अवर सचिव (प्रशासन-III)—सदस्य	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
3. स्टॉफ कार ड्राईवर. (सामान्य ग्रेड)	5* (1995) *कार्यभार के आधार पर पद घट-बढ़ सकते हैं।	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप "सी" अराजपत्रित गैर अनुसचिवीय	950-20-1150-द० रो०-25-1500	लागू नहीं	लागू नहीं	18–25 वर्ष (समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सामान्य उम्मीदवारों के मामले में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति और जनजाति	अनिवार्य : (i) मोटरकार के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस का स्वामित्व। (ii) मोटर यांत्रिकी की जानकारी और (iii) मोटर कार चलाने का कम से कम 5 वर्ष का

7	8
के मामले में 45 वर्ष तक आयु में छूट दी जा सकती है)।	अनुभव। वांछनीय : आठवीं कक्षा आवश्यक उत्तीर्ण की गई हो।
टिप्पणी : 1. आयु सीमा के निर्धारण हेतु निर्णायक तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (किन्तु इसके निर्धारण के लिए असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य की लद्दाख डिवीजन, लाहोल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का पांगी उप-प्रभाग, अंडमान निकोबार संघ राज्य क्षेत्र) के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई अंतिम तारीख मान्य नहीं होगी।	टिप्पणी : 1. अर्हताओं में छूट देना निदेशक/उप सचिव (प्र.) के अधिकारों में होगा, यदि उम्मीदवार अन्यथा अन्य उचित अर्हता प्राप्त हो।
टिप्पणी : 2. रोजगार केन्द्र के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा के निर्धारण हेतु निर्णायक तारीख रोजगार केन्द्र द्वारा उम्मीदवारों के नामांकन किए जाने की अंतिम तारीख होगी।	टिप्पणी: 2. अनुसूचित जाति अथवा जन-जाति के उम्मीदवारों मामले में अनुभव से संबंधित अर्हताओं में छूट देने का अधिकार निदेशक/. उप सचिव (प्र.) का होगा यदि चयन की किसी भी अवस्था में, उनका विचार हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरे जाने के लिए अपेक्षित अनुभव प्राप्त उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण अथवा स्थानांतरण द्वारा जिसके संभव न	स्थानांतरण द्वारा :—मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नियमित वाहन डाक वितरकों और श्रेणी 'घ' के कर्मचारियों	निदेशक/उप सचिव (प्रशासन)—अध्यक्ष। अवर सचिव—सदस्य अवर सचिव (स्था-iii)—सदस्य	लागू नहीं।

11	12
होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	से जो स्तम्भ 8 में विनिर्दिष्ट अर्हता प्राप्त हों, अथवा अन्य मंत्रालयों/विभागों अथवा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले अधीनस्थ/संलग्न कार्यालयों में कार्यरत स्टॉफ कार चालकों के स्थानण्तरण अथवा अतिनियुक्ति/स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा । "इसी अथवा अन्य संगठन/विभाग में, इस नियुक्ति के तत्काल पूर्व अन्य संवर्ग बाह्य में धारित पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि को शामिल करते हुए प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।"

[सं० ए० 12018/1/94-स्था०-III]

रवीन्द्र नाथ, अवर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Education)

New Delhi, the 14th March, 1995

G.S.R. 161.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Human Resource Development (Staff Car Driver) Recruitment Rules, 1986, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Drivers in the Ministry of Human Resource Development, Department of Education, namely :—

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Ministry of Human Resource Development, Department of Education, Staff Car Drivers Group 'C' Posts Recruitment Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay—The number of said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

5. Disqualifications—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided, that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expendient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of tthese rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
1. Staff Car Driver Grade-I	2* (1995) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group-'C', Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 1320-30-1560-EB-40-2040.	Non-Selection

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7	8
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
9	10	11
Not applicable.	Not applicable.	By promotion

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Staff Car Driver-Grade-II having six years regular service and having passed the trade test the syllabus for which shall be as follows: (i) must be able to read English numerals figures; (ii) must have good knowledge of Traffic Rules and Regulations;	Group 'C' Departmental Promotion Committee for Promotion and Confirmation consisting of :— 1. Director/Deputy Secretary (Administration)—Chairman. 2. Under Secretary—Member. 3. Under Secretary (Establishment-III)—Member.	Not applicable.

12
(iii) must be able to locate faults with the light motor vehicles and carry out their minor repairs; (iv) must be able to change wheels and correctly inflate tyres of light motor vehicles. Note : Staff Car Drivers serving in the Ministry of Human Resource Development, Department of Education and having fifteen years regular service in the Grade on the date of commencement of these rules shall be appointed to the post subject to being found fit by the Departmental Promotion Committee on the basis of seniority-cum-fitness and passing of Trade Test.

1	2	3	4	5
2. Staff Car Driver Grade-II	3* (1995) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group-C Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 1200-30-1440-EB-30-1800.	Non Selection

6	7	8
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

9	10	11
Not applicable.	Not applicable.	By Promotion

12	13	14
Staff Car Driver—Ordinary Grade having 9 yrs. regular service and having passed the trade test the syllabus for which shall be as follows: (i) must be able to read English numerals and figures; (ii) must have good knowledge of Traffic Rules and Regulations; (iii) must be able to locate faults with the light motor vehicles and carry out their minor repairs;	1. Director/Deputy Secretary(Administration)—Chairman. 2. Under Secretary—Member. 3. Under Secretary (Establishment-III)—Member.	Not applicable.

12	13	14
(v) must be able to change wheels and correctly inflate tyres of light motor vehicles. Note : Staff Car Drivers serving in the Ministry of Human Resource Development, Department of Education and having nine years regular service in the grade on the date of commencement of these rules shall be appointed to the post subject to being found fit by the Departmental Promotion Committee on the basis of seniority-cum-fitness and passing of Trade Test.		

SCHEDULE

1	2	3	4	5
3. Staff Car Driver (Ordinary-Grade)	5* (1995)	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 950-20-1150-EB-25-1500	Not applicable.

*Subject to variation dependent on workload.

6	7	8
Not applicable.	18—25 years (Relaxable for Government employees upto the age of 40 years in case of general candidates and 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in the Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman & Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep). Note : 2 The crucial date for determining the age limit in the case of candi-	Essential : (i) Possession of a valid driving licence for motor car; (ii) knowledge of motor mechanism; and (iii) experience of driving a motor car for atleast five years. Desirable : Must have passed 8th standard. Note : 1 Qualifications are relaxable at the discretion of the Director/ Deputy Secretary (Administration) in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Director/Deputy Secretary (Administration) in the case of candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribes if at any stage of selection he is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to

7	8
dates from Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to nominate candidates.	be available to fill up the vacancies reserved for them

9	10	11
Not applicable	Two years	By transfer on deputation or transfer, failing which by direct recruitment

12	13	14
By transfer : From amongst the regular Despatch Riders and Group 'D' employees of the Ministry of Human Resource Development who possess the qualifications as specified in column 8; or by transfer on deputation or transfer of persons holding the post of staff car driver in other Ministries/Departments or Subordinate/ attached offices under the Ministry of Human Resource Development. "(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation/department shall ordinarily not exceed 3 years)".	Director/Deputy Secretary (Administration) —Chairman. Under Secretary—Member. Under Secretary (Establishment-III) —Member.	Not applicable.

[No. A-12018/1/94-E. III]
RAVINDER NATH, Under Secy.

पर्यावरण और वन मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1995

सा.का.नि. 162 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण और वन मंत्रालय में माली के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण और वन मंत्रालय, माली (समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
माली	1* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	750-12-870-14-940 रुपये	अचयन	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है। टिप्पण : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
(i) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से पाचवीं कक्षा उत्तीर्ण (ii) बागवानी का प्रारंभिक ज्ञान, और (iii) बागवानी का तीन वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायगा
13	14
समूह "घ" विभागीय प्रोन्नति समिति (जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी)— अवर सचिव (प्रशासन)—अध्यक्ष अनुभाग अधिकारी (साधारण प्रशासन)—सदस्य। समुचित पंक्ति का एक अधिकारी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो—सदस्य।	लागू नहीं होता

[फा.सं. ए-30015/1/93-जी ए.]

सतीश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi, the 27th February, 1995

G.S.R. 162.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Mali in the Ministry of Environment and Forests, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Environment and Forests, Mali (Group 'D' post) Recruitment Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay : The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, age-limit and other qualification etc.—The methods of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said schedule.

4. Disqualifications—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

6. Saving—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay
1	2	3	4
Mali	1 (1944)* *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'D' (Non-Gazetted), Ministerial	Rs. 750-12-870-14-940

Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules. 1972	Age limit for Direct recruits
5	6	7
Non-selection	Not applicable	Between 18 and 25 years. Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government. Note: In case of recruitment made through Employment Exchange the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
8	9	10	11
(i) 5th class pass from a recognised school, (ii) elementary knowledge of gardening, and (iii) 3 years experience of gardening	Not applicable (N.A.)	2 years	By direct recruitment

In the case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Not applicable	Group 'D' Departmental Promotion Committee—(Comprising of) Under Secretary (Administration) —Chairman Section Officer (Administration)—Member Section Officer (General Administration) —Member Schedule Caste/Schedule Tribe Officer of an appropriate rank—Member	Not applicable.

[F. No. A-30015/1/93—G A]

SATISH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Department of Telecommunications)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th March, 1995

G.S.R. 163.—In the notification of Government of India Ministry of Communication (Department of Telecommunication) No. G.S.R. 42 dated 20th December, 1994 published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 28th January, 1995 at page 160 in the English version of the notification preamble before para 1, in the second line read "Indian Telegraph Act, 1885" for "Indian Telegraph Act, 1985".

[No. R-11014/18/93-LR]

S. VENKATASUBRAMANIAN, Asstt. Wireless Advisor

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
नई दिल्ली, 20 मार्च, 1995

सा.का.नि. 164—रेल सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 (1957 का 23) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा रेल सुरक्षा बल नियम, 1987 को आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को रेल सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1995 कहा जाए।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरीक्षक, उप निरीक्षक तथा सहायक उप निरीक्षक के पद के लिए क्रम सं. 10 से 12 के संबंध में रैंकों के बिल्लों से संबंधित रेल सुरक्षा बल नियम, 1987 की अनुसूची-VIII में की गई प्रविष्टियों में शब्द "पीला धातु" को शब्द "सफेद धातु" से प्रतिस्थापित किया जाए।

[सं. 94/सिक. (स्पे)/6/11]

जी.के. खरे, सदस्य (कार्मिक), रेलवे बोर्ड तथा पदेन सचिव

नोट :—मूल नियम दिनांक 3-12-87 के सा.का.नि. सं. 951(ई) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित सा.का.नि. द्वारा संशोधित किए गए थे।

क्रम सं.	सा.का.नि. सं.	दिनांक
01.	374	24-7-92
02.	574	7-11-94

MINISTRY OF RAILWAYS
(Railway Board)

New Delhi, the 20th March, 1995

G.S.R. 164.—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Railway Protection Force Act, 1957 (23 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railway Protection Force Rules, 1987, namely :—

1. (1) These rules may be called the Railway Protection Force (Amendment) Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in th Official Gazette.

2. In Schedule-VIII, to the Railway Protection Force Rules 1987 relating to Badges of Ranks against serial numbers 10 to 12 to the post of Inspector, Sub-Inspector and Assistant Sub-Inspector respectively in the entries for the words "yellow metal" the words "white metal" shall be substituted.

[No. 94/Sec(Spl.)/6/11]

G. K. KHARE, Member (Staff), Railway Board and Ex. Officio Secy.

Note :—The principal rules were published vide GSR No. 951(E) dated : 03-12-87 and amended vide the following GSRs

S. No.	GSR. No.	Dated
01.	374	20-07-92
02.	574	07-11-94

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय
(स्था. 1 अनुभाग)
नई दिल्ली, 10 मार्च, 1995

सा.का.नि. 165.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) विकास सलाहकार संगठन (समूह "क" और समूह "ख" इंजीनियरी पद) भर्ती नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) विकास सलाहकार संगठन (समूह "क" और समूह "ख" इंजीनियरी पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. जलभूतल परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) विकास सलाहकार संगठन (समूह "क" और समूह "ख" इंजीनियरी पद) भर्ती नियम, 1989 की अनुसची में, विशेष नक्शानवीस के पद से संबंधित क्रम सं. 11 के सामने—

(क) स्तंभ 1 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात्:—"मुख्य नक्शानवीस";

(ख) स्तंभ 3 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् :—

"साधारण, केन्द्रीय सेवा समूह "ख"

राजपत्रित अननुसचिवीय";

(ग) स्तंभ 12 में की प्रविष्टियो के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जायगा अर्थात् :—

"प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) स्थानान्तरण के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।"

[सं. ए-11019/4/94-स्था.-1]

एम. निर्मला राव, अवर सचिव

पाद-टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 379(अ) तारीख 27-3-89, अधिसूचना सं. स्था./ई.एन.एस.(135)/85 तारीख 23 मार्च, 1989 के अधीन प्रकाशित किये गये थे।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Establishment I Section)

New Delhi, the 10th March, 1995

G.S.R. 165.—In exercise of the powers conferre by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Surface Transport (Transport Wing) Development Adviser's Organisation (Group 'A' and Group 'B' Engineering Posts) Recruitment Rules, 1989, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Ministry of Surface Transport (Transport Wing) Development Adviser's Organisation (Group 'A' and Group 'B' Engineering Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Surface Transport (Transport Wing) Development Adviser's Organisation (Group 'A' and Group 'B' Engineering Posts) Recruitment Rules, 1989, against serial No. 11 relating to the post of Special Draftsman—

(a) in column 1, for the existing entry, the entry "Chief Draftsman" shall be substituted;

(b) in column 3, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"General Centdal Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial;"

(c) in column 12, in the entries, the following shall be added at the end, namely :—

"The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short-term contract)/ transfer shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications."

[A-11019/4/94-Estt.I]

M. NIRMALA RAO, Under Secy.

Footnote : The principal rules were published in the Gazette of India vide GSR No. 379(E) dated 27-3-89, Notification No. EST/ENS(135)/85 dated 23rd March, 1989.

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1995

सा.का.नि. 166.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नौ-वहन और परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष) (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1979 को अधिक्रांत करते हुए जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष) के क्षेत्रीय कार्यालयों में पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष) (समूह 'ग' और 'घ' पद) भर्ती नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष) के क्षेत्रीय कार्यालयों में अपवर्जित पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पुर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 14 मे विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हताएं : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति य जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, जहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेव (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1. प्रधान लिपिक	8* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अराजपत्रित), अननुसचिवीय	1400-40-1800-द.रो.-50-2300 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	कुछ नहीं

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायगा
11	12
प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा।	प्रोन्नति : जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के सड़क पक्ष के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत ऐसे उच्च श्रेणी लिपिकों में से जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष तक नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/स्वशासी संगठनों/स्थानीय निकायों के कार्यालयों में कार्यरत ऐसे व्यक्ति : (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है, या (2) जिन्होंने 1200–2040 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पणी : 1. प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रति- नियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। 2. पोषक प्रवर्ग ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रति- नियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायगा।
13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. उप सचिव (प्रशा.)—अध्यक्ष 2. अवर सचिव या समतुल्य पंक्ति का एक अधिकारी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का हो—सदस्य 3. अवर सचिव या समतुल्य पंक्ति का एक अधिकारी जो अल्पसंख्यक समुदाय का न हो—सदस्य 4. अवर सचिव (प्रशा.)—सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	
2.	आशुलिपिक श्रेणी-2	13* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	1400-40-1800-50-2300-द.रो.-60-2600 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।)

7
टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए ।

8	9	10
(1) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या उसके समतुल्य अर्हता । (2) आशुलिपिक (अंग्रेजी/हिन्दी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति ।	आयु : नहीं अर्हता : हां	केवल सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।

11	12
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नति : जल भूतल परिवहन मंत्रालय के सड़क पक्ष के क्षेत्रीय कार्यालयों/ई एल ओ एस में 1200–2040 रु. के वेतनमान में कार्यरत ऐसे आशुलिपिक श्रेणी 3 में से जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी— (क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (2) जिन्होंने 1200–2040 रु. की श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास आशुलिपि (अंग्रेजी/हिन्दी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति है । टिप्पणी : 1. प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । 2. ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. उप सचिव (प्रशा.)—अध्यक्ष 2. अवर सचिव या समतुल्य पंक्ति का एक अधिकारी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का हो—सदस्य । 3. अवर सचिव या समतुल्य पंक्ति का एक अधिकारी जो अल्पसंख्यक समुदाय का हो—सदस्य । 4. अवर सचिव (प्रशा.)—सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
3. आशुलिपिक श्रेणी 3	17* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	1200-30 1560-द. रो.-40-2040 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है। टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

8	9	10
(1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य। (2) आशुलिपि (हिन्दी/अंग्रेजी) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

11	12
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण पर या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों केन्द्रीय सरकार के ऐसे पदधारियों में से प्रतिनियुक्ति पर भरी जा सकेगी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तम्भ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं।	लागू नहीं होता

13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (केवल पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे— 1. उप सचिव (प्रशा.)—अध्यक्ष 2. अवर सचिव या समतुल्य पंक्ति का एक अधिकारी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का हो—सदस्य 3. अवर सचिव या समतुल्य पंक्ति का एक अधिकारी जो अल्पसंख्यक समुदाय का हो—सदस्य 4. अवर सचिव (प्रशा.)—सदस्य।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
4. उच्च श्रेणी लिपिक	8* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित) अनुसचिवीय	1200-30-1560-द.रो.-40-2040 द.	अचयन	नहीं	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	कुछ नहीं

11	12
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रोन्नति : जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के सड़क पक्ष के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत ऐसे निम्न श्रेणी लिपिक (950–1500 रु.) जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :— (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने निम्न श्रेणी लिपिक या समतुल्य की श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण : 1. प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। 2. ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. उप सचिव (प्रशा.)—अध्यक्ष ; 2. अवर सचिव या समतुल्य पंक्ति का एक अधिकारी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का हो—सदस्य 3. अवर सचिव या समतुल्य पंक्ति का एक अधिकारी जो अल्पसंख्यक समुदाय का हो—सदस्य 4. अवर सचिव (प्रशा.)—सदस्य।	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6	7
5. निम्नश्रेणी लिपिक	10* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित) अनुसचिवीय	950-20-1150-बार्ग-25-1500 रु	अचयन	नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पण: आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाए।

8	9	10
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता	हां, स्तम्भ 12 में उपदर्शित सीमा तक	दो वर्ष
(ii) अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति		

11	12
(i) 90 % कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा (ii) 10 % प्रोन्नति द्वारा।	प्रोन्नति : जल भतल परिवहन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के ऐसे समूह "घ" कर्मचारियों में से जिनके पास मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता है और जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण :प्रोन्नति पर सभी नियुक्तियां इस शर्त के अधीन होंगी कि अभ्यर्थी को जल भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा आयोजित अंग्रेजी या हिन्दी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। उसे ऐसी परीक्षा अपनी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति से उत्तीर्ण करनी होगी, जिसके न हो सकने पर उसे तब तक कोई वेतनवृद्धि अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जब तक वह उक्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता है। यदि कोई अभ्यर्थी परिवीक्षा अवधि के भीतर उक्त टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता है तो वह अपनी अधिष्ठायी नियुक्ति पर या निचली श्रेणी में अपनी नियुक्ति से पहले धारित अस्थायी पद पर प्रतिवर्तित हो जाएगा।

13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. उप सचिव (प्रशासन)—अध्यक्ष 2. अवर सचिव या समतुल्य पंक्ति का एक अधिकारी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का हो—सदस्य; 3. अवर सचिव या समतुल्य पंक्ति का एक अधिकारी जो अल्पसंख्यक समुदाय का हो—सदस्य ; 4. अवर सचिव (प्रशा.)—सदस्य।	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6	7
दफ्तरी	1* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "घ", (अराजपत्रित)	775-12-871-14-10256.	अधयन	नहीं	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति जल भूतल परिवहन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के ऐसे चपरासी, जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम दो वर्ष नियमित सेवा की है।

13	14
समूह "घ" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. अवर सचिव (प्रशा.)—अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (साधारण)—सदस्य; 3. एक राजपत्रित अधिकारी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का हो—सदस्य।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
7. चपरासी	28* (1994) *कार्यभार के आधारपर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "घ" (अराजपत्रित) अनुसचिवीय	750-12-870-14-940 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में है) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्ती भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8	9	10
आवश्यक : आठवां स्तर उत्तीर्ण। वांछनीय : होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा में "बुनियादी" और "पुनश्चर्या" पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

11	12
(1) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। (2) 25 प्रतिशत स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	स्थानांतरण : 25 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे फराश, चौकीदार सफाईवाला में से स्थानांतरण द्वारा, जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम पांच वर्ष नियमित सेवा की है। जिनके पास प्रारम्भिक साक्षरता है और जो अंग्रेजी या हिन्दी या प्रादेशिक भाषा पढ़ने की योग्यता का सबूत दे सकते है :

13	14
समूह "घ" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. अवर सचिव (प्रशा.)—अध्यक्ष 2. अवर सचिव (साधारण)—सदस्य 3. एक राजपत्रित अधिकारी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का हो—सदस्य	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6	7
8. फराश	3* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह "घ" (अराजपत्रित)	750-12-870-14-940 रुपये	लागू नहीं होता।	नहीं	18—25 वर्ष

8	9	10
—	लागू नहीं होता	दो वर्ष

11	12
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

13	14
समूह "घ" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:— 1. अवर सचिव (प्रशा.)—अध्यक्ष 2. अवर सचिव (साधारण)—सदस्य 3. एक राजपत्रित अधिकारी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का हो—सदस्य	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6	7
9. चौकीदार	3* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह "घ" (अराजपत्रित)	750-12-870-14-940 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	18—25 वर्ष

8	9	10
—	लागू नहीं होता	दो वर्ष

11	12
सीधी भर्ती	लागू नहीं होता

13	14
समूह "घ" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. अवर सचिव (प्रशा.)—अध्यक्ष 2. अवर सचिव (साधारण)—सदस्य 3. एक राजपत्रित अधिकारी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का होगा—सदस्य।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
10. सफाईवाला	1* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह "घ" (अराजपत्रित)	750-12-870-14-940 रु०	लागू नहीं होता	नहीं	18—25 वर्ष

8	9	10
—	लागू नहीं होता	दो वर्ष

11	12
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

;

13	14
समूह "घ" त्रिभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :	लागू नहीं होता
1. अवर सचिव (प्रशा.)—अध्यक्ष	
2. अवर सचिव (साधारण)—सदस्य	
3. एक राजपत्रित अधिकारी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का हो—सदस्य।	

[फा. सं. ए-12018/1/93-स्था.-II]

एम. निर्मला राव, अवर सचिव

MINISTR OF SURFACE TRANSPORT

New Delhi, the 24th March, 1995

G.S.R. 166.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Shipping and Transport (Roads Wing) (Group 'C' and 'D' Posts) Recruitment Rules, 1979, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts in the Regional Offices of the Ministry of Surface Transport (Roads Wing), namely :—

1. (1) Short title and commencement.—These rules may be called the Ministry of Surface Transport (Roads Wing) (Group 'C' and 'D' Posts) Recruitment Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the excluded posts in the Regional Offices of the Ministry of Surface Transport (Roads Wing) specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit and othed qualification etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule annexed to these rules.

5. Disqualifications.—No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for any of the said posts :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, or may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons or posts.

7. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this degard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or Non-selection post.	
1		2	3	4	5
1. Head Clerk	9* (1994)	General Central Service Group 'C', (Non-gazetted) Ministerial.	Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300	Non-selection	
*subject to variation dependent on work-load.					

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS. (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
6	7	8
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any.	Method of recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
9	10	11
Not applicable.	Nil.	Promotion, failing which by transfer on deputation, and failing both, by transfer.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12	13	14
Promotion : From amongst the Upper Division Clerks, working in the Regional Offices of Roads wing of the Ministry of Surface Transport, having 5 years' regular service in the grade. Transfer on deputation/Transfer : — Persons working in offices of Central/State Governments/Public Sector Undertakings/ Autonomous organisations/local bodies : — (i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with 5 years regular service in posts in the scale of Rs. 1200—2040/- or equivalent. Note : 1. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall not ordinarily exceed 3 years. 2. The Departmental candidates in the feeder category, who are in direct line of promotion will not be considered for deputation. Similarily, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Deputy Secretary (Admn.)—Chairman. 2. Under Secretary or an equivalent rank officer belonging to SC/ST community —Member. 3. Under Secretary or an equivalent rank officer belonging to minority community —Member. 4. Under Secretary (Administration) —Member.	Not Applicable.

1	2	3	4	5
2. Stengographer Grade–II	13* (1994)	General Central Service, Group–'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 1400-40-1800-50-2300-EB-60-2600/-	Non-Selection.

*Subject to variation dependent on workload.

6	7	8
Not applicable.	25 years (relaxable upto 35 years in case of Government Servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government, Note : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(i) Matriculation or its equivalent qualification from a Government recognised Board/University. (ii) A speed of 100 w.p.m. in Stenography (English/Hindi).

9	10	11
Age : No. Qualification : Yes	2 years for direct recruits only.	By promotion failing which, by transfer on deputation, failing both by direct recruitment.

12	13	14
Promotion : From Stenographers Grade III working in the Regional Offices/ELOs of Roads Wing of the Ministry of Surface Transport, in the scale of Rs. 1200—2040/- with 5 years' regular service in the grade. Transfer on deputation : Officers of the Central Government : — (a) (i) holding analogous posts on regular basis; (ii) with 5 years' regular service in the grade of Rs. 1200—2040/- and (b) possessing a speed of 100 w.p.m. in Stenography (English/Hindi). Note : 1. Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. 2. Departmental candidates who are in direct line of promotion, will not be considered for Deputation. Similarily, the deputationists shall not be ligible for consideration for appointment by promotion.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Deputy Secretary (Admn.)—Chairman. 2. Under Secretary or an equivalent rank officer belonging to SC/ST community —Member. 3. Under Secretary or an equivalent rank officer belonging to minority community —Member. 4. Under Secretary (Admn.)—Member.	Not applicable.

1	2	3	4	5
3. Stenographer Grade-III	17* (1994) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', (Non-gazetted) Ministerial.	Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040	Not applicable.

6	7	8
Not applicable.	18—25 years. (Relaxable for Govt. servants upto 35 years in accordance with the instruction issued by Central Govt.). Note : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(i) Matriculation or equivalent from a recognised Board/University; (ii) Speed of 80 w.p.m. in Stenography (English or Hindi).

9	10	11
Not applicable.	2 years	Director Recruitment through Staff Selection Commission. Note : Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualification prescribed for direct recruits at col. 8.

12	13	14
Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation only) consisting of :— 1. Deputy Secretary (Admn.)—Chairman 2. Under Secretary or an equivalent rank officer belonging to SC/ST community —Member. 3. Under Secretary or an equivalent rank officer belonging to minority community —Member. 4. Under Secretary (Admn.)—Member.	Not applicable.

1	2	3	4	5
4. Upper Division Clerk *Subject to variation dependent on work-load.	8* (1994)	General Central Service, Group 'C', (Non-Gazetted) Ministrial.	Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040.	Non-selection

6	7	8
No	Not applicable.	Not applicable.

9	10	11
Not applicable.	Nil.	By promotion, failing which by transfer on deputation.

Promotion : Lower Division Clerk (Rs. 950—1500/-) working in the Regional Offices of Roads Wing of the Ministry of Surface Transport with 8 years regular service in the grade. Transfer on Deputation : Officers of the Central Government : (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with eight years regular service in the grade of Lower Division Clerk or equivalent. Note : 1. The period of deputation including the period of deputation held against another ex-cadre post immediately preceding this appointment the same or some other organisation shall not ordinarily exceed three years. 2. Departmental candidates who are in direct line of promotion will not be considered for deputation. Similarily, the deputationists shall not be eligibile for consideration for appointment by promotion.	Group 'C', Departmental Promotion Committee consisting of : 1. Deputy Secretary (Admn.)—Chairman 2. Under Secretary or an equivalent rank officer belonging to SC/ST community —Member. 3. Under Secretary or an equivalent rank officer belonging to minority community —Member. 4. Under Secretary (Admn.)—Member.	Not applicable.

1	2	3	4	5
5. Lower Division Clerk *Subject to variation dependent on work-load.	19* (1994)	General Central Service, Group 'C', (Non-Gazetted) Ministerial.	Rs. 950-20-1150-EB-25-1500/-	Non-Selection

6	7	8
No	Between 18 and 25 years (relaxable for Government Servant upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govt.) Note : The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.	(i) Matriculation or equivalent qualification from a recognised Board or University; (ii) A typing speed of 30 w.p.m. in English or 25 w.p.m. in Hindi.

9	10	11
Yes, to the extent indicated in Column 12.	2 years	(i) 90% by direct recruitment through Staff Selection Commission, (ii) 10% by promotion.

12	13	14
Promotion : From amongst Group 'D' employees in the RegionalOffices/ELOs of the Ministry of Surface Transport, who possess Matriculation or equivalent qualification and have rendered 10 year's regular service in the grade. Note : All appointments on promotion shall be subject to the condition that the candidate will have to pass a type writing test in English or in Hindi held by the Ministry of Surface Transport. He shall pass such a test at minimum speed of 30 w.p.m. in English or 25 w.p.m. in Hindi, within a period of one year from the date of appointment, failing which no annual increment(s) shall be allowed to him until he passed the said test. If any candidate does not pass the said type-writing test within the period of probation, he is liable to be reverted to his substantive appointment or temporary post held by him before his apointment to Lower Division Grade.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Deputy Secretary (Admn.)—Chairman 2. Under Secretary or an equivalent rank officer belonging to SC/ST community —Member. 3. Under Secretary or an equivalent rank officer belonging to minority community —Member. 4. Under Secreary (Admn.)- Member.	Not applicable.

1	2	3	4	5
6. Daftry	1* (1994) *subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group-'D', (Non-gazetted).	Rs. 775-12-871-14-1025/-	Non-selection

6	7	8
No	Not Applicable	Not Applicable

9	10	11
Not applicable	Not applicable	By promotion

12	13	14
Promotion : Peons in the Regional Offices/ ELOs of the Ministry of Surface Transport ,who have rendered at least two years regular service in the grade.	Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Under Secretary (Admn.)—Chairman. 2. Under Secretary (General)—Member. 3. A gazetted officer belonging to SC/ST community—Member.	Not applicable

1	2	3	4	5
7. Peon	28* (1994) *subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C', (Non-gazetted) (Non-Ministerial)	Rs. 750-12-870-14-940/-	Not applicable

6	7	8
No	Between 18 and 25 years (relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through the Employment Exchange the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names.	Essential : 8th standard pass. Desirable : Training in 'Basic' and 'Refresher' Courses in Home Guards and Civil Defence.

9	10	11
Not applicable	2 years for direct recruits.	(i) 75% by direct recruitment; (ii) 25% by transfer failing which by direct recruitment.

Transfer : 25% vacancies by transfer from farashes,—chowkidars, safaiwalas, who have put in minimum 5 years regular service in the grade. They should also possess elementary literacy and give proof of ability to read either English or Hindi or Regional language.	Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Under Secretary (Admn.)—Chairman 2. Under Secretary (General)—Member. 3. A gazetted officer belonging to SC/ST Community—Member.	Not applicable

SCHEDULE

1	2	3	4	5
8. Frash	3* (1994) *Subject to variation dependent on work-load.	Group 'D', (Non-Gazetted)	Rs. 750-12-870-14-940/-	Not applicable.

6	7	8
No.	18—25 years.	

9	10	11
Not applicable.	2 years.	Direct Recruitment.

12	13	14
Not applicable.	Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Under Secretary (Admn.)—Chairman. 2. Under Secretary (General)—Member 3. A gazetted officer belonging to SC/ST community —Member.	Not applicable.

1	2	3	4	5
9. Chokidar	3* (1994) *Subject to variation dependent on work-load.	(Group 'D', (Non-Gazetted)	Rs. 750-12-870-14-940/-	Not applicable.

6	7	8
No	18—25 years	

9	10	11
Not applicable	2 years	Direct recruitment.

12	13	14
Not applicable.	Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Under Secretary (Admn.)—Chairman 2. Under Secretary (General)—Member. 3. A gazetted officer belonging to SC/ST community—Member.	Not applicable.

1	2	3	4	5
10. Safaiwala	1* (1994) *Subject to variation dependent on work-load.	Group 'D', Non-gazetted.	Rs. 750-12-870-14-940/-	Not applicable.

6	7	8
No	18—25 years	—

9	10	11
Not applicable.	2 years.	Direct recruitment.

12	13	14
Not applicable.	Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Under Secretary (Admn.)—Chairman. 2. Under Secretary (General)—Member. 3. A gazetted Officer belonging to SC/ST community—Member.	Not applicable.

[F. No. A—12018/1/93-E.II]

M. NIRMALA RAO, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995